प्रकाशकीय

अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले की जांच करने वाले लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट एक समाचार–पत्र में लीक हो जाने के बाद विपक्षी दलों की पुरजोर मांग पर अंततः यूपीए सरकार ने संसद में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। भाजपा सांसदों ने तर्कों व तथ्यों के सहारे यूपीए सरकार को कटघरे में खडा कर दिया।

गत 7 दिसंबर को लोकसभा में लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पर भाजपा की ओर से बहस की शुरूआत करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने इसे गलतियों का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर था, है और रहेगा। लोकसभा में विपक्ष की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने रिपोर्ट में तथ्यात्मक गलतियों की भरमार होने का उल्लेख करते हुए इसे खारिज करने की मांग की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली ने आयोग की रिपोर्ट को 'एक राष्ट्रीय मजाक' करार देते हुए केंद्र सरकार को उसके अपने ही तथ्यों में फंसा दिया जो कि विवादित स्थान पर अतीत में मंदिर होने का इशारा करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री एम. वेंकैया नायडू ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट को बंगाल की खाडी में फेंक दिया जाना चाहिए।

हम संसद के दोनों सदनों में लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पर भाजपा सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों को इस पुस्तिका में प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि यूपीए सरकार का साम्प्रदायिक चेहरा बेनकाब हो सके।

प्रकाशक
भारतीय जनता पार्टी
11, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दिसम्बर, 2009

लोकसभा

अयोध्या में राम मंदिर था, है और रहेगा

– राजनाथ सिंह

अध्यक्ष महोदया, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

17 वर्षों के अंतराल के बाद लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट सदन में ले की जा चुकी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी तथ्यहीन और आधारहीन बातें हैं। हम सभी जानते हैं, सारा भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि मर्यादा पुरुोत्त्म भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास काटकर, धर्म और सत्य की स्थापना की और फिर पुनः अपना राज्य स्थापित किया। यानी पुनः राज्य स्थापित करने में उन्हें 14 वर्षों का समय लगा था लेकिन लिब्रहान कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 17 वर्षों का समय लगा है। 17 वर्षों का समय लगा, इस पर मुझे आपत्ति न होती लेकिन क्या सत्य है, क्या यथार्थ है, यदि इसके नजदीक कमीशन पहुंचने में सफल रहा होता तो मुझे 17 वर्षों पर भी कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन सत्य के पास तक भी यह लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई है। 17 वर्षों का इसने समय लिया, वहीं पर करोड़ों रुपये की धनराशि इस पर खर्च हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि सत्य को इस कमीशन के द्वारा विकृत करने की कोशिश की गई है, तथ्यों को तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। कई बार बाबरी मस्जिद इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अध्यक्ष महोदया, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि यह जो अयोध्या का कॉम्पलैक्स है, उसे लीगल लैंग्वेज में हम राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद कॉम्पलैक्स कहते हैं लेकिन कमीशन जो एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर गिराए जाने की जांच कर रहा है और कई स्थानों पर बार–बार यह शब्द प्रयोग करता हो, बाबरी मस्जिद–बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग कर रहा हो, जो लीगल लैंग्वेज राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद कॉम्पलैक्स न कहता हो, उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे कि वह

कमीशन कैसी रिपोर्ट देगा? मैं यहां पर पृष्ठ संख्या 383 के पैरा नं. 63.6 के अंतिम पंक्ति का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें विवादित ढाँचे को बाबरी मस्जिद कहा गया है। उसके बाद कमीशन की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 494 के पैरा 74.1 और 74.2 की 7वीं पंक्ति में भी इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को बाबरी मस्जिद कहा गया है और मैं कहना चाहता हूं कि यह वैधानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह पूरी तरह से गलत है। मैं पूरी तरह से इसे कंडैम करता हूं। इसे राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद कॉम्पलैक्स कहा जाना चाहिए। इसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाना चाहिए। इसे बाबरी मस्जिद किसी भी सूरत में नहीं कहा जाना चाहिए। क्या कमीशन ने इस पर विचार नहीं किया कि वह बार–बार बाबरी मस्जिद इस शब्द का प्रयोग कर रहा है? लोगों की धार्मिक भावनाओं की संवेदनाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कमीशन ने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया? मेरा यह कहना है कि चाहे संसद हो अथवा संसद के बाहर हो, इस बाबरी मस्जिद का प्रयोग बंद होना चाहिए, इसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाना चाहिए अथवा जो कॉम्पलैक्स की लीगल लैंग्वेज है, उसका प्रयोग करना चाहिए लेकिन यदि इतिहास के पीछे जाकर यदि कोई इसे बाबरी मस्जिद कहना ही चाहता है तो मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि इतिहास के पीछे जाने की धुरी क्या होगी, यह किसी की मर्जी के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। कहां तक इतिहास के पीछे वह जाएगा, उसकी मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह किसको नहीं मालूम कि वहां पर राम मंदिर था। बाबर के सेनापति मीर बातीरहीम ने 1528 में उसका वहां डिमोलीशन कराया है और मस्जिद बनवाने की उसने कोशिश की है, इस सच्चाई को कौन नकार सकता है?

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पूरी की पूरी रिपोर्ट भारी गलतियों का एक पुलिंदा है। तथ्यों के प्रति पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है और पूरी तरह से उसकी उपेक्षा इस रिपोर्ट में दिखाई गई है। अब मैं यहां पर पृष्ठ संख्या 270 का उल्लेख करना चाहूंगा और महोदया, मैं अपने आप को पूरी तरह से लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा गया है, उसी पर मैं अपने आप को सीमित रखते हुए पृष्ठ संख्या 270 के पैरा 46.8 का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा है–एडीजी, इंटेलीजेंस। यह कौन नाम है, यह कौन था? एडीजी कौन था और ये कारसेवा में शामिल थे? आंदोलन में शामिल थे? यह भी तो लिब्रहान कमीशन को लिखना चाहिए था कि केवल एडीजी इंटेलीजेंस ही केवल थे या एडीजी इंटेलीजेंस का पूरा

ऑफिस इस आंदोलन में शामिल था? पेज 239 के पैरा 47.5 में लिखा है – लीडर्स ऑफ मुस्लिम। लीडर्स ऑफ मुस्लिम में कौन है? इसका कोई अता–पता नहीं है। इसमें किसी के बारे में नहीं लिखा कि कौन नेता है जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया है। इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा बलंडर किया गया है और मंडल कमीशन रिपोर्ट की चर्चा करते हुए लिखा गया है "The ordinance for acquisition of the land, which was issued on the 19th of October 1990 was subsequently withdrawn on the 20th October, 1990. In the meantime, Government led by Shri V.P. Singh declared the decision regarding implementation of Mandal Commission Report providing reservations for Scheduled Castes, etc. " मंडल कमीशन की रिपोर्ट शैड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के लिए नहीं थी, यह कमीशन की जानकारी है जिसका इसमें उल्लेख किया गया है। मोरोपंत पिंगले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अखिल भारतीय प्रचारक रहे हैं, उनको कहा गया कि शिव सेना पॉलिटिकल पार्टी के एक मैम्बर थे। रिपोर्ट के पेज 275 के पैरा 46.7 में, हमारे सदन के सम्मानित सदस्य, जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, जगदम्बिका पाल का नाम भी कारसेवकों की सूची में शामिल है। मैं कारसेवक जगदम्बिका पाल जी का स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि कारसेवक, श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं। महोदया, मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि 1982 में ये कांग्रेस के एमएलसी थे लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कारसेवा में भाग लिया है, यही लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट है।

मैडम, इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मुझे कहना है कि इस कमीशन की रिपोर्ट एक खास उद्देश्य को लेकर, पूरी तरह स्पेशल परपज से सधे हुए राजनीतिक एजेंडा के रूप में लिखी हुई मुझे प्रतीत होती है। मैं यहां जिक्र, करना चाहूंगा, उसी कमीशन की रिपोर्ट के पेज नं. 362 के पैरा 61.05 में लिखा है . "A mad race designed to embarrass the Congress Party by BJP and other members of the Sangh Parivaar." अर्थात् यह आंदोलन जो जनांदोलन था, वह कांग्रेस को संकट में, मुसीबत में, समस्या में डालने के लिए किया जा रहा था, कमीशन का यह एक पोलिटिकल स्टेटमैन्ट नहीं है, इसे और क्या कहा जाए। वहीं रिपोर्ट के पेज 597 पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर ही लिखा हुआ है और उसमें लिखा

है – "The failure of BJP as an irresponsible political party... मैडम स्पीकर, किसी भी कमीशन को पोलिटिकल कमैन्ट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एक ऐसी पोलिटिकल पार्टी, जो आज के भारत के दोनों सदनों की प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो और जो छः वर्षों तक इस हिंदुस्तान में सरकार चला चुकी हो। एक लिब्रहान कमीशन इस पार्टी को इर्रिस्पांसिबल पार्टी कहेगा। हम उसे कंडैम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बारे में इनका यह जो पोलिटिकल कमैन्ट है, उस पोलिटिकल कमैन्ट के लहजे को हम देखें, पोलिटिकल कमैन्ट के अंदाज को हम देखें तो मैं समझता हूं कि जो हमारा एक डेमाक्रेटिक सिस्टम है, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं समझता हूं कि इस पर पूरी संसद को भी विचार करना चाहिए।

महोदया, लिब्रहान कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेन्स में पेज 4 पैरा 2.11 में लिखा है 1992. 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे का जो विध्वंस हुआ, जो विवादित ढांचा गिरा, वह एक स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और इन सारे लोगों का जो कैडर था, उसने इस ढांचे को गिरा दिया। मैं यह मानता हूं कि उस दिन अयोध्या में जो कुछ भी घटित हुआ, वह पूरी तरह से सारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि सारे देश भर का जनाक्रोश था। उसमें यह एक अनियंत्रित अभिव्यक्ति थी, यह मैं मानता हूं। मैडम, मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है कि स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया नहीं थी, एक तरफ लिब्रहान कमीशन अपनी रिपोर्ट में यह बात कह रहे हैं और यह कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की यह कांस्पिरेसी थी तो वही दूसरी तरफ लिब्रहान कमीशन ने इसे कंट्राडिक्ट करने का काम भी किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किस आधार पर लिब्रहान कमीशन ने कह दिया कि यह एक कांस्पिरेसी थी। क्या लिब्रहान कमीशन को यह विचार नहीं करना चाहिए था कि वह डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो जनभावना के आक्रोश के कारण गिरा है, उसके पीछे कौन सी परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या यह कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती और केवल कुछ घंटे की घटनाओं के सिक्वैन्स के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। स्वतःस्फूर्त जनाक्रोश के परिणामस्वरूप यह विवादित ढांचा गिरा है अथवा किसी कांस्पिरेसी के कारण ही यह विवादित ढांचा गिरा है।

यदि सचमुच विश्लेषण सही तरीके से करना है तो वर्षों, दशकों और

शताब्दियों के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखना होगा, तब जाकर यह बतलाया जा सकता है कि वह विवादित ढ़ांचा कैसे गिरा? इस सच्चाई को कौन नहीं जानता है? अयोध्या भगवान राम से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान है। वहां पर मीर बाकी ने तोड़कर मस्जिद बनायी। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। यह ऐतिहासिक रूप से स्थापित है। अबुल फजल की आइने अकबरी में अयोध्या को राम का जन्मस्थान और अत्यंत पवित्र स्थल माना गया है। 1816 में लिखी हुई नसीहत–ए–बिस्त–ओ–पंजमहज–चहलनिसाही–बहादुरशाही में स्वयं औरंगजेब की पौत्री द्वारा जन्मभूमि के विध्वंस और वहां बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही गयी है। कोई भी वह पुस्तक उठाकर देख सकता है। 1885 में लखनऊ से फारसी में प्रकाशित गुस्त–ए–हालात, हालात–ए–अयोध्या अवध में मौलवी अब्दुल करीम ने भी यही लिखा है। 1973 में लखनऊ के प्रतिष्ठित मुस्लिम धार्मिक विश्वविद्यालय नरवातुल उलेमा के प्रमुख मौलाना अब्दुल हसन नदवी, जिन्हें हम लोग सम्मानपूर्वक अली मियां कहकर पुकारते हैं, ने अपने पिता की अरबी में लिखी हुयी पुस्तक हिन्दुस्तान इस्लामी अहद में इस का उर्दू अनुवाद किया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1977 में हुआ है। इसमें यह लिखा है कि जहां हिन्दुओं की मान्यता थी, उसी के स्थान पर बाबर ने मस्जिद बनायी। जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, चाहे वह विलियम फिंच हों, जोजेफ डिफेंटलर हों, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का गजट हो, सबमें इस बात का उल्लेख है कि वहां मस्जिद खड़ी कर देने के बाद भी निरन्तर हिन्दू तीर्थ यात्री आते थे, उसके बाहर भजन कीर्तन करते थे और वहां पूजा होती थी। ऑर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1934 में अयोध्या के प्राचीन स्थलों के खोजबीन का काम शुरू किया था। उस समय भी उसने इसे जन्मभूमि के रूप में लिखा है और वहाँ पर लिखा हुआ है – "This is site No.1 Janmabhoomi." इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी घटना की शृंखलाएँ हैं, ये इतनी पुरानी हैं कि जब न हमारी संसद थी, न हमारी सरकारें थीं। मैं समझता हूँ कि उन सारी घटनाओं का विश्लेषण कमीशन को करना चाहिए था, लेकिन इन घटनाओं का विश्लेषण उसने नहीं किया। यह भी लिखा कि "There was no order to prohibit Muslims to perform Namaz, but no Namaz was done since 1934." यानी 1934 से कोई नमाज़ वहाँ पढ़ी ही नहीं गई। 1934 से वहाँ पर कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही है। 1949 में वहां मूर्तियों की स्थापना हुई और न्यायालय के आदेश से वहाँ तब से

पूजा–अर्चना अनवरत चल रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जब 1949 से बराबर वहाँ पर मूर्तियों की पूजा हो रही है और वहाँ पर नमाज़ अदा नहीं की जा रही थी तो सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रयत्न किया?

अध्यक्ष महोदया, अभी जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस समय मामला सब–ज्यूडिस है, मैं समझता हूं कि अगर मामला सब–ज्यूडिस है, तब तो लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा कौन सा ऐसा आर्गुमेंट है अथवा हमारे कौन से ऐसे फेक्ट्स हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोर्ट का फैसला अथवा कोर्ट की कार्यवाही किसी हद तक प्रभावित हो। उसके लिए भी तर्क देना होगा। मैं यह कहना चाहता था कि लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि फरवरी, 1986 में न्यायालय ने एक कदम और आगे जाकर रामजन्म भूमि का ताला खोलने का आदेश दे दिया। नवम्बर, 1989 में श्रीराम जन्म भूमि का शिलान्यास भी हुआ। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1949 से वहां पूजा हो रही था, वह मन्दिर में हो रही थी या मस्ज़िद में हो रही थी? जिसका ताला खुला और शिलान्यास हुआ, वह मंदिर था या मस्ज़िद थी, यह भी मैं सरकार से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, यदि आप मुझ से जानना चाहते हैं कि आप बताइए किस का ताला खुला तो मैं कह दूंगा कि वहां मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा।

अध्यक्ष महोदया, अगर इस घटना की पृष्ठभूमि में भी हम जाना चाहें तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी हुआ है, सचमुच इस मामले में जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग थे, उन्हें जो न्याय एवं इंसाफ मिलना चाहिए था, वह न मिलने के कारण ही इस प्रकार का जन आक्रोश पैदा हुआ और वह डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर धराशायी हुआ। अध्यक्ष महोदया, इस सदन के एक सम्मानित सदस्य, हमारे युवा साथी श्री राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट सभी लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि यदि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री होता तो ऐसा कभी न होने पाता। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1949 में मूर्ति स्थापित होने के समय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जी थे और सन् 1989 में शिलान्यास के समय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी थे तथा उत्तर

प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी थे।

मैडम स्पीकर, यदि 6 दिसम्बर, 1992 की घटना की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड का पूरी तरह से एनैलेसिस किया गया होता, तो लिब्रहान कमीशन, शाहबानो केस को किसी भी सूरत में नहीं भुला सकता था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1986 में शाहबानो केस में न्यायालय का फैसला आया, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किस तरह से कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए।

मैडम स्पीकर, मैं लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में, 30 अक्तूबर और 2 नवम्बर को उत्तर प्रदेश में, जो गोली चली, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वे सम्मानित सदस्य, हमारे सदन में ही उपस्थित हैं, उस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि उसके कारण भी एक साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हुआ। उसका भी इस लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर गिरने के बाद ही, आर.एस.एस., वी.एच.पी. और इन सारे दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। प्रतिबन्ध लगाने के बाद, जस्टिस बाहरी, जो सिटिंग जज थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक ट्रिब्यूनल बना, जिसे बाहरी ट्रिब्यूनल का नाम दिया गया, उसने अपनी रिपोर्ट दी। उस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के पेज नंबर 72 पर, सरकार के इंटैलीजेंस विभाग द्वारा, यह माना गया है कि सितम्बर से दिसम्बर, 1990 के मध्य देश में साम्प्रदायिक तनाव चरम पर था, यानी बाहरी ट्रिब्यूनल इस बात को स्वीकार कर रहा है, लेकिन लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है। मैं यहां यह उल्लेख भी करना चाहूंगा कि ये सब जो परिस्थितियां थीं, इनका उल्लेख लिब्रहान कमीशन को अपनी रिपोर्ट में करना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट में इन सारी घटनाओं और परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया है। मैडम स्पीकर, मैं कहना चाहता हूं कि उस समय बहुत सारे भड़काऊ बयान भी दिए गए। कहा गया कि गणतंत्र दिवस का बहिष्कार होना चाहिए। किसी ने भारत माता को डायन कह दिया। कहा गया कि भारत माता ऐसी डायन है, जो हम सभी लोगों को निगल जाना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करती। हम जाति और मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं।

मैडम स्पीकर, चाहे कोई बहुसंख्यक समाज हो या अल्पसंख्यक, यदि

उसे बराबर टीज करने और चिढ़ाने की कोशिश की जाएगी, यदि कोई इंसाफ मांगता है और उसे देने में यदि विलम्ब किया जाएगा या टालमटोल की जाएगी, तो स्वतः प्रतिक्रिया होगी। हम लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया इस घटना से पहले भी देखी है और 6 दिसम्बर, 1992 को जो हुआ, उसे भी हम लोगों ने देखा। जब वह स्ट्रक्चर गिरा, तो लिबरहान कमीशन को उसमें कांस्पिरेसी दिखने लगी।

मैडम स्पीकर, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 6 दिसम्बर, 1992 से केवल कुछ माह पहले की ही अनेक घटनाएं ऐसी हैं, जिनका कि लिब्रहान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया है। वर्ष 1991 में कांग्रेस की सरकार थी। मैं उस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने हिन्दू और मुस्लिम, दोनों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया, जिसका उल्लेख लिब्रहान कमीशन ने पेज सं.126 के पैराग्राफ 30.1 में किया है। उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से जो विद्वान उपस्थित थे, वे बिना एवीडेंस दिये, बिना सबूत दिये उठकर चले गये थे। लिब्रहान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया था। इसके बाद पेज 195 के पैरा 40.2 में लिखा हैः "…no further time would be given after 23rd October, 1992." माने, यह अल्टीमेटम कमीशन के द्वारा दिये जाने के बावजूद एक्शन कमेटी की तरफ के विद्वान 92 में अगली बैठक में लिखित सबूत लाना तो दूर, वे स्वयं उपस्थित भी नहीं हुए, इसको भी लिब्रहान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मैंशन नहीं किया है। स्वाभाविक है कि बातचीत के द्वारा जो इसका समाधान निकलना चाहिए था, वह समाधान निकलना सम्भव नहीं हो पाया। घटना की पृष्ठभूमि में इतने महत्वपूर्ण पक्ष का उल्लेख न होना, मैं यह मानता हूं कि यह कमीशन का एक पूर्वाग्रह है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो इस समय हमारे सदन में सम्मानित सदस्य हैं, श्री कल्याण सिंह जी, उनके सम्बन्ध में लिखा है। कल्याण सिंह जी की यह कहते हुए आलोचना की कि वे कारसेवकों पर गोली चलाने के पक्ष में नहीं थे और रिपोर्ट के पेज 134 के पैरा 30.2 और 30.4 और पैरा 37.16 में यह लिखा कि पहले मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने दिसम्बर, 1991 में, फिर जुलाई, 1992 में प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हाराव जी से कारसेवकों पर बलप्रयोग करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यह कह दिया था कि हम गोली नहीं चला सकते। यह कल्याण सिंह जी ने पहले

ही कह दिया था, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी तो उस समय जो गोली चलाई गई थी, उसके कारण एक व्यापक प्रतिक्रिया सारे देभभर में हुई थी। उसी का तर्क देते हुए कल्याण सिंह जी ने दो बार उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव जी से कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आयोग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दिसम्बर, 1991 और जुलाई, 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार का यह विचार, यह मंतव्य जानने के बावजूद केन्द्र सरकार ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। रिपोर्ट के पेज नं. 122 और पैरा 29.30 में एक कमेटी का जिक्र है, उस कमेटी में हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह जी शेखावत और यहां पर हमारे माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी उसमें थे। कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि यह कमेटी क्यों काम नहीं कर पाई। इसका भी उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। स्वयं कमीशन ने पेज नं. 154 में लिखा है, एक अप्रैल, 1992 को रामनवमी के दिन अयोध्या में सात लाख लोग एकत्रित थे और सब कुछ शान्ति से निपट गया। 1992 में जब कारसेवा की घाषेणा हुई, उस समय बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और 6 दिसम्बर, 1992 से अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे तो कमीशन को कम से कम इस का संज्ञान लेना चाहिए था कि 6 दिसम्बर, 1992 से अधिक संख्या में कई बार कारसेवक वहां एकत्रित हो चुके, लेकिन कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने पाई। जो डिस्प्यूटिड स्ट्रक्चर था, उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची तो 6 दिसम्बर, 1992 को ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई कॉग्नीजेंस लेने की कोशिश लिब्रहान कमीशन ने नहीं की है। यदि पहले की सारी डेट्स इतना बड़ा हुजूम होने के बावजूद इतनी शान्तिपूर्वक गुजर गईं तो 6 दिसम्बर, 1992 को ही ऐसा क्यों हुआ। यह सब की जानकारी में है कि 2.77 एकड़ जो डिस्प्यूटिड लैंड है, जिसे डिस्प्यूटिड लैंड कहते हैं, उसके चारों तरफ 67 एकड़ की जो लैंड है, वह यू.पी. गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की गई थी और 11 दिसम्बर, 1992 को उस पर जजमेंट आने वाला था, लेकिन सरकार के द्वारा एक बार भी यह कोर्ट में अपील नहीं की गई, कोर्ट से रिक्वैस्ट नहीं की गई कि वह 6 दिसम्बर, 1992 के पहले वह जजमेंट आ जाये, ताकि इस प्रकार का जनाक्रोश को शान्त किया जा सके। इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं हुई। इसीलिए मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि यह आयोग एक स्वस्थ और निष्पक्ष विचार से नहीं, बल्कि

दोषारोपण की एक निश्चित मनोवृत्ति से काम कर रहा था। रिपोर्ट के पेज 222 में कहा गया है: "…the news report cannot be said to be false even if it may be an exaggerated version." यानी समाचार–पत्रों में जो कुछ भी, भले ही वह अतिरंजित हो, वह लिब्रहान कमीशन के लिए विश्वसनीय है। पेज नंबर 248 के पैरा 43.3 (1) में विश्व हिंदु परिषद के नेताओं के बारे में कहा गया है, "They ostensibly told the Kar Sevaks to construct the temple". माने वह एक दिखावा था। जो अपील कर रहे थे, वह दिखावा था। यह कैसे इलहाम हो गया लिब्रहान कमीशन को कि वह वास्तव में कारसेवकों को मना कर रहे थे अथवा यह एक दिखावा मात्र था? पेज नंबर 250 पर पैरा 44.2 पर लिखा है, "This is a sham paper decision of symbolic kar seva". रिपोर्ट के पेज 255 के पैरा 56 में कारसेवकों से रूकने की अपील के विषय में कमीशन ने लिखा है कि "feeble requests for media benefit." यानी मीडिया का लाभ उठाने के लिए, सारे नेता लोग कारसेवकों से बहुत ही कमजोर अपील कर रहे थे, नाममात्र की अपील कर रहे थे। यह इलहाम लिब्रहान कमीशन को कैसे हुआ? रिपोर्ट के पेज 502 के पैरा 76.8 में मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोगों के बारे में कमीशन ने कुछ कमेंट किया है। इसने कहा है, "little men with king-sized egos." मैडम क्या किसी कमीशन को, किसी व्यक्ति को यह इजाजत दी जा सकती है?

जिन लोगों का नाम उन्होंने लिस्ट में दिया है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्या वह लिटिल मैन हो गए? श्री लालकृण आडवाणी जी क्या लिटिल मैन होंगे, डा. मुरली मनोहर जोशी क्या लिटिल मैन होंगे? मैडम स्पीकर, कमीशन को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। मैडम स्पीकर, जो बड़ा होता है, वह किसी को छोटा नहीं कहता है। मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम ने समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठी सबरी के घर जाकर उसका झूठा बेर खाने का काम किया था। मर्यादा पुरूषोत्तम राम बड़े थे। जस्टिस लिब्रहान किसी को लिटिल मैन कहेंगे, मैं इसे कंडेमन करता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे सदन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जस्टिस लिब्रहान 17 वर्षों में एक बार भी अयोध्या नहीं गए। पूरी कमीशन एक बार भी अयोध्या नहीं गयी और सारी रिपोर्ट आपने यहां पर तैयार कर दी है।

मैडम, मुझे लगता है कि शायद लिब्रहान आयोग को एक नयी दृष्टि प्राप्त थी, जैसे धृतराष्ट्र को संजय के रूप में एक नयी दृष्टि प्राप्त थी, वैसे ही

लिब्रहान को एक नयी दृष्टि प्राप्त थी। हस्तिनापुर में बैठे–बैठे संजय ने दोनों आंखों से अंधे धृतराष्ट्र को कुरूक्षेत्र की सारी दास्तान सुना डाली, सारा वृत्तान्त उन्हें सुना डाला। मैं इस संजय से पूछना चाहता हूं कि आप किस धृतराष्ट्र को सुनाना चाहते हैं? कौन था वह धृतराष्ट्र? हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लालकृण आडवाणी जी, आदरणीय डा. जोशी, ये सूडो–माडरेट होंगे। यह इलहाम कैसे हो गया आपको कि ये सूडो–माडरेट हैं? यह पालिटिकल कमेंट करने का अधिकार किसी भी कमीशन को नहीं दिया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं, जो कमेंट किया है लिब्रहान कमीशन ने, यह नैतिक दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से पूरी तरह से एक अनाधिकार चेष्टा करने की कोशिश की है। आगे रिपोर्ट में पेज 492 में पैरा 16.6 में लिखा है, "It cannot be assumed even for a moment that L.K. Advani, Atal Bihari Vajpayee or Murli Manohar Joshi did not know the designs of the Sangh Parivar". रिपोर्ट की इन पंक्तियों से पूरी तरह साफ है कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और सर्वमान्य नेता वाजपेयी जी के खिलाफ दोषारोपण जो किया गया है, वह तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि केवल एजम्पशन के आधार पर, अनुमान के आधार पर किया गया है। उनकी रिपोर्ट से ही मैंने कांक्ल्यूजन निकाला है। हमारा कहना है कि किसी भी कमीशन अथवा किसी भी व्यक्ति को यदि किसी घटना की जांच करनी चाहिए तो जांच का आधार इनडक्टिव लॉजिक होना चाहिए यानी जो तथ्य मिलें, जो साक्ष्य मिलें, उनके अनुसार निष्कर्ष या किसी कनक्लूज़न पर पहुंचा जाए। लेकिन लिब्रहान कमीशन ने जो कुछ भी लिखा है, वह इनडक्टिव लॉजिक के आधार पर नहीं लिखा है बल्कि डिडक्टिव लॉजिक के आधार पर लिखा है। उनका पहले से डिज़ायर्ड कनक्लूज़न था, पहले से तय कर लिया था कि हमें किस निकर्ष पर पहुंचना है। उस हिसाब से सारे तथ्य और साक्ष्य उन्होंने उसमें डालने की कोशिश की है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा। रिपोर्ट के पेज 286 पैरा 50.6 में लिखा है – "The inquiry demands an insightful analysis of the situation by weeding out the communal, institutional or other bias from the statements of the witnesses and by precluding the possibility of hindsight bias, that is, remembering the fact consistent with the desired conclusion." मतलब डिज़ायर्ड कनक्लूज़न को हासिल करने के लिए उन्होंने इनडक्टिव लॉजिक का नहीं बल्कि

डिडक्टिव लॉजिक का सहारा लिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह पूरी रिपोर्ट, this is a political document for character assassination. हमारा इस संबंध में सब मिला–जुलाकर यही कमैंट है।

मैं कहना चाहूंगा कि कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने में कानूनी मानदंडों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। इसीलिए मैं इसे पोलीटिकल डौक्यूमैंट कह रहा हूं। रिपोर्ट के पेज 335 के पैरा 57.4 में कहा गया है – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसलिए साम्प्रदायिक है क्योंकि संगठन का आग्रह हिन्दुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीतियों पर रहता है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में हिन्दुत्व को डिफाइन करते हुए कहा –This is a way of life. यह जीवन शैली है, इसे जाति और मजहब की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आप कहेंगे कि वह कम्युनल है। यह सुप्रीम कोर्ट की डैफिनेशन है। इतना ही नहीं, मैं एक और केस का हवाला देना चाहूंगा। 1996 में रमेश यशवंत प्रभु बनाम् प्रभाकर काचीनाथ कुंडे के चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने की याचिका पर अपना निर्णय देते हुए वॉल्यूम 1, पेज 162, पैरा 44 में लिखा है – "It is an error of law to assume Hindutva as communal." अतः संघ को केवल हिन्दुत्व की विचारधारा के आधार पर साम्प्रदायिक कहना राजनीतिक विद्वेष ही नहीं, बल्कि कानून की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। आश्चर्य है कि सरकार ने अपनी एटीआर की जो रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की है, उसमें भी लिखा है – The matter will be examined further. किस मैटर को ऐग्ज़ामिन करेंगे, क्या ऐग्ज़ामिन करेंगे जिसे आपको एटीआर में लिखने की जरूरत पड़ी। मैं कहना चाहूंगा कि हिन्दुज्म में विश्वास करने वाले किसी व्यक्ति ने न तो कभी किसी के ऊपर आक्रमण किया है और न कभी किसी प्रकार के कन्वर्ज़न को प्रमोट करने की इस देश में कोशिश की है, यह बच्चा–बच्चा जानता है। Hinduism never went for invasion and never propagated conversion. इस सच्चाई को भी समझना चाहिए। जहां तक हिन्दुत्व का प्रश्न है – वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश केवल भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों के लिये नहीं बल्कि पूरी धरती पर रहने वाले जितने लोग हैं, सबके लिए दिया गया है।

मुझे आश्चर्य ही नहीं वेदना भी है कि जिन 68 लोगों को विध्वंस का षड्यंत्रकारी माना गया है, उसमें देवराहा बाबा का नाम भी लिया गया है। देवराहा बाबा जैसे व्यक्ति, जो ढाई वर्ष पहले ही ब्रह्मलीन हो चुके थे, सारा

राष्ट्र इस बात को जानता है कि वे कैसे संत थे। उनके प्रति जन–सामान्य की कैसी आस्था और श्रद्धा थी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने 1954 में कुंभ मेले में जाकर सार्वजनिक रूप से बैठकर देवराहा बाबा की पूजा की थी, अर्चना की थी। साथ में पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री के.आर. मुंशी और मुख्य मंत्री डा. सम्पूर्णानंद एवं चंद्रभान गुप्त भी उपस्थित थे। 1948 में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी उनके दर्शन करने के लिए वहां गए थे और उनके बारे में टंडन जी का क्या कमैंट था, मैं समयाभाव के कारण उसका उल्लेख नहीं करूंगा। 1911 में किंग जार्ज पंचम देवराहा बाबा का दर्शन करने गए थे। हमारे देश की प्रधान मंत्री रहीं श्रीमती इंदिरा गांधी भी कई बार देवराहा बाबा के दर्शन करने गईं। वे वर्ष 1977 में पराजित होने के बाद भी उनके दर्शन करने गयी थीं। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी 6 नवम्बर, 1989 को चुनाव से पूर्व पूज्य देवराहा बाबा का दर्शन करने गये थे। उनके साथ नारायण दत्त तिवारी और उस समय के गृह मंत्री श्री बूटा सिंह जी भी थे। उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देवराहा बाबा के साथ 40 मिनट तक बात हुई थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 40 मिनट तक राजीव गांधी जी की देवराहा बाबा से क्या बात हुई, इसका खुलासा किया जाना चाहिए। समाचार–पत्रों में देवराहा बाबा और स्वर्गीय बाबा के सारे फोटोग्राफ्स और उस समय की सारी खबरें आज भी हमें पढ़ने को मिल जायेंगी। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार 1989 में जो शिलान्यास हुआ, उस शिलान्यास से पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी देवराहा बाबा से बात करने के लिए गये थे। उसके बाद उस समय के चीफ जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्र भी अपने दो सीटिंग जजों को लेकर देवराहा बाबा से मिलने गये थे। ऐसे संत को षड्यंत्रकारी सिद्ध करने का प्रयास किया जाये, तो मैं इस बारे में क्या कहूं? यह निर्लज्जता नहीं है, धृष्टता नहीं है, तो इसे और क्या कहा जाये? इससे बेहद पीड़ा हुई है। इस रिपोर्ट में देवराहा बाबा के बारे में जो भी कमेंट किया गया है, उससे हिन्दुस्तान का पूरा संत समाज आक्रोशित हुआ है। यह एक प्रकार से साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं है, तो इसे और क्या कहा जाये? देवराहा बाबा के बारे में बोलते समय मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन देवराहा बाबा के बारे में हमें इस प्रकार की टिप्पणी पढ़ने को मिली है। हमारे ही जज्बात और हमारी ही भावनाएं आहत नहीं हुई हैं, बल्कि

करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

अध्यक्ष महोदया, सोमनाथ का मामला भी था। वह दूसरा मामला है, जो हल हो गया है। सरदार वल्लभभाई पटेल जी गृह मंत्री थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जो बहुत ही सम्मानित नेता हैं और जिनके प्रति आज भी हम लोगों का सम्मान है, उनके रहते हुए भी यह विवाद हल नहीं हो पाया। निश्चित रूप से यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। मैडम, यहां पर मैं लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जिक्र करना चाहूंगा। प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव ने 6 दिसम्बर, 1992 को रात नौ बजे दूरदर्शन पर यह कहा था कि वे बाबरी मस्जिद को पुनः उसी स्थल पर बनायेंगे। क्या लिब्रहान कमीशन को इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए था, इस स्टेटमैंट का उस समय क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या इससे साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा हुआ होगा या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हुआ होगा? शायद नरसिंह राव जी को इस बात की जानकारी नहीं थी। उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या कांग्रेस के लोगों को, पूरे मंत्रिमंडल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि गैर मुस्लिम को मस्जिद बनाने का हक नहीं है। कुरान में यह लिखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने यह वायदा कर दिया। जहां तक वायदे की बात है, तो कल्याण सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भी वायदा किया था, ऐफिडेविट दिया था कि हम वह ढांचा नहीं गिरने देंगे। आप कल्याण सिंह के वायदे की क्या बात करते हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का प्रश्न है, इस सरकार की विचारधारा है और जिस पार्टी से यह जुड़ी हुई है, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन संभवतः लाहौर में 1945 में हुआ था। उस समय कांग्रेस का एक संकल्प था कि हम किसी भी सूरत में इस देश को विभाजित नहीं होने देंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देशवासियों को यही वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाये, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, तो हमारी लाशों पर होगा। उन्होंने यह वचन दिया था, लेकिन जिस पार्टी की यह सरकार है, यह पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वचन को भी नहीं निभा पायी और अंततोगत्वा भारत का मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया। महोदया, मैं जनाक्रोश की इंटेसिटी के बारे में कहना चाहता हूं।

महोदया, नवंबर, 1990 में बीबीसी ने अपने विश्लेषण में यह बात कही

थी कि तुलनात्मक दृष्टि से राम जन्मभूमि आन्दोलन में जनता का पार्टीसिपेशन 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन से कई गुना अधिक था। इस बात को लिब्रहान कमीशन मानने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता के वचन को यह कांग्रेस पार्टी निभा नहीं पाई, मैं समझता हूं कि उसके कारण जो तकलीफ और वेदना होनी चाहिए, वह इस पार्टी को नहीं हुई, बल्कि अपनी इस नीयत के साथ स्वयं को राष्ट्र के मिलन, ट्रायस्ट विद डेस्टिनी का नायक मानते हैं और हमको दोषी ठहराते हैं ढांचे के गिरने के लिए। हमारे आदरणीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम गैरकानूनी तरीके से लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में डाला गया है क्योंकि कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट, 1958 के सेक्शन 8बी के प्रॉविजन के तहत किसी व्यक्ति से बिना पूछताछ किए आरोपित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से कई लोगों के नाम इस रिपोर्ट में डाले गए हैं। यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि लम्बे समय तक भारत की राजनीति में सम्मान प्राप्त करने वाला अगर कोई नेता है, तो वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी करते हुए इनको रंचमात्र भी संकोच नहीं हुआ। जिस अटल बिहारी वाजपेयी को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भविष्य की ज्योति कहा हो, नरसिम्हा राव जी ने अपना राजनीतिक गुरू कहा हो, वह अटल बिहारी वाजपेयी लिब्रहान कमीशन को एक श्यूडो–सेकुलर और षड्यंत्रकारी दिखाई दे रहे हैं? क्या ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति रूग्ण मानसिकता का नहीं कहा जाएगा? यदि यह नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा?

महोदया, 10 दिसंबर, 1992 को आरएसएस और वीएचपी पर प्रतिबंध लगाया गया और ट्रिब्यूनल में कहा गयाः "It is pertinent to mention that (PW-7) उस समय के ज्वाइंट डायरेक्टर, आईबी थे, जो गवर्नमेंट के व्यु को रिप्रेजेंट कर रहे थे, he has categorically admitted that there was no material evidence to show that these organizations, RSS, BJP, had pre-planned the destruction of the disputed structure." यह ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि एक जुडिशियल वर्डिक्ट है, इसकी अवहेलना करते हुए कमीशन ने सीधे कह दिया कि कांस्पिरेसी में यदि किसी का हाथ है, तो इन लोगों का है। 17 वर्ष बाद इनको यह इलहाम हुआ है। पायनियर की भी एक रिपोर्ट का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय के गृहमंत्री शंकर राव चव्हाण जी थे। "The Pioneer, 3rd January 1993: "The Union Home

Minister S.B. Chavan sprang a surprise on Friday when he stated that demolition was not pre-planned. He said, intelligence agencies have not given any linking of what was to happen on 6th December, 92. When asked by journalists that P.V. Narasimha Rao said it was planned, he reacted sharply and said that the Prime Minister has actually expressed only apprehension." अपने प्राइम मिनिस्टर को होम मिनिस्टर ही इस प्रकार से कंट्राडिक्ट कर रहा है। उस समय आक्रोशित कारसेवकों की मनोदशा की मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। इसलिए चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि लिब्रहान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पेज 253 के पैरा 44.12 पर लिखा है "Some defiant Karsevaks pushed Shri L. K. Advani, Murli Manohar Joshi and Vinay Katiyar and captured the platform of Karseva, and they were finally taken out by Swayamsevak of RSS." साफ–साफ लिखा है कि आडवाणी जी बार–बार अपील कर रहे थे। उसके बाद भी वहां पर जो आक्रोशित लोग थे, उन्होंने इनको ठेल कर वहां से हटा दिया, उसके बाद भी इनको इलहाम हो रहा है। उसके बाद इन्हें इलम हो रहा है कि आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और विनय कटियार का इसमें हाथ है।

मैं आपके माध्यम से, सरकार से अपील करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सौहार्द होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। लेकिन मैजोरिटी और माइनोरिटी के नाम पर यदि आप किसी को अपीज करने की कोशिश करेंगे तो इससे साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा नहीं होता है वरन् इससे साम्प्रदायिक द्वेष पैदा होता है। हम एक सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि "justice to all and appeasement of none" और इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए कि कैसे 1947 में मजहब के नाम पर भारत–माता के दो टुकड़े हो गये। इसलिए फिर से वे स्थितियां पैदा न हों, यह सबक लेने की आवश्यकता है। मैं इस रिपोर्ट के बारे में कहना चाहूंगा कि The Report is totally baseless, biased, prejudiced and meticulously designed to target some persons, some political parties and some organizations- लगता है कि आज तक हम अपनी कोलोनियल माइंड सेट की विरासत में जी रहे हैं। ढांचे के विध्वंस का कारण दशकों की गतिविधि में नहीं, घंटों की गतिविधियों में तलाशने की कोशिश की गयी है। जैसे कोई रैवेन्यू केस होता है वैसे ही इस सरकार के द्वारा इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कभी राम के ऊपर बैन कर दिया जाता है, और रामसेतू के बारे में

जो कुछ कहा गया कि नल–नील इंजीनियर कहां थे बताओ? स्वाभाविक रूप से इससे आक्रोश पैदा होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सेक्युलरिस्ट शब्द से भी भ्रम पैदा होता है। सेक्युलर शब्द से एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है, जब हम धर्म को सेक्युलरिज्म के खिलाफ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति सेक्युलर भी हो सकता है, अपने धर्म को मानने वाला भी हो सकता है और सेक्युलरिज्म के संदर्भ में धर्म–निरपेक्ष शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि जो हमारे संविधान का हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें सेक्युलरिज्म का अर्थ पंथ–निरपेक्ष लिखा हुआ है और सेक्युलरिज्म को पंथ–निरपेक्ष कहा जाना चाहिए। धर्म–निरपेक्ष पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र–धर्म और किसी मत या संप्रदाय का अंतर पूरी तरह साफ हो सके। संसद में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि हिंदुत्व शब्द कैसे साम्प्रदायिक हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए। भारत के संविधान के 10–12 चित्रों का उल्लेख भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सबके चित्र मिलेंगे। महात्मा गांधी, मीरा जी, कबीर दास, संत रैदास सबने राम की स्तुति गायी है और अल्लामा इकबाल ने कहा है कि 'हे राम तेरे वजूद पर हिंदुस्तां को नाज, अहले नजर समझती है उनको इमामे हिंद।' मैडम, बाबर की कब्र अफगानिस्तान में है और वहां उसे कोई श्रद्धा प्राप्त नहीं है क्योंकि वे कहते हैं कि यह तो समरकंद के थे। मैं जैनेटिक इंजीनियरिंग के रिसर्च की बात कहना चाहूंगा। पहले यह कहा जाता था कि आर्य बाहर से आये, यह सिद्धांत पूरी तरह से फेल हो गया। अब जैनेटिक इंजीनियरिंग का ही यह दावा है कि जितने भी भारतीय हैं वे एक ही जैनेटिक पूल के हैं। चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान हों, सब एक ही जैनेटिक पूल हैं। बाबर का जन्म–स्थान समरकंद है जो सेंट्रल एशिया में आता है और सेंट्रल एशिया का जैनेटिक मूल यहां के जैनेटिक पूल से अलग है। हम लोगों के नायक भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरुनानक देव जी और गुरु तेगबहादुर जी, ऐसे सारे लोग हो सकते हैं। महोदया, हमें भारत में भारतीयता के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने धर्म की बात कही है। आपकी कुर्सी पर 'धर्मचक्र परिवर्तनाय' लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के सिम्बल में भी 'यतो धर्मः ततो जयः' लिखा है। राष्ट्रीय चिह्न अशोक पर भी 'सत्यमेव जयते' लिखा है। राष्ट्रीय झंडे पर जो अशोक चक्र बना है, वह अशोक के अभिलेखों में धम्म चक्र है। भारतीय राज व्यवस्था के सारे संकेत 1947 के बाद के नहीं, बल्कि उस सनातन राष्ट्र को अभिव्यक्त करते हैं।

जिसने सारे राष्ट्र को ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म की एक नई दृष्टि देने का काम किया है।

मैं अंत में आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि विश्व की सर्वश्रेठतम सभ्यता के उत्तराधिकारी के रूप में हम सभी एक आम सहमति बनाएं, सांस्कृतिक गौरव और साम्प्रदायिक संघर्ष को अलग रखते हुए आत्मसम्मान से युक्त गौरवशाली राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करें। यह केवल धार्मिक न्याय नहीं होगा, यह राष्ट्रीय न्याय होगा। महोदया, हमने श्रेष्ठतम सभ्यता की बात कही है, मैं मिस्र के संविधान की पहली लाइन का उल्लेख करना चाहूंगा, Egyptian Constitution begins with this sentence: "We the people of Egypt who have been toiling on this great land since the dawn of history and the beginning of civilisation." इस सभ्यता को हमें समझने की जरूरत है और इसी के आधार पर आम सहमति बना कर एक गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण हम सभी को प्रशस्त करना है। राम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण धार्मिक और सांस्कृतिक न्याय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय न्याय है। एनडीए की सरकार रहते हुए हम राष्ट्रीय न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से प्रयत्न किया था कि मध्यस्थता से समस्या का समाधान निकले। हम सभी को पीड़ा है और राम जन्म भूमि निर्माण के प्रति हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं अपने इस कमिटमेंट को फिर से दोहराना चाहता हूं। ■

Report is a compilation of Howlers, Tragedy of Error

– Arun Jaitley

Mr. Vice- Chairman, Sir, I was just listening to my good friend, Dr. Abhishek Singhvi, and he probably overstated his case, which he is good at. He says that we stand condemned at the bar of public opinion in the last seventeen years. In the five General Elections held in the last seventeen years, we were voted as a largest single party in Parliament at least three times. We have been the second largest party in the other two Elections.

I think, overstating one's case for the purpose of advancing a political argument is understandable. I was wondering how to make a realistic assessment of the Liberhan report. Should I understate? If I do understate and be more realistic as to what it is, as is apparent from the ATR, it is a report which is devoid of any credibility, it is a report which is an exercise in futility, it is a report which almost all the major media in this country has referred to as a dud report, a report which the ATR itself indicates that it is an unimplementable document! But, if I go into each of the 999 pages of this report along with its annexures, Sir, factually, I cannot help but saying that this report is a on a factfinding process in the last seventeen years.

When I say de facto author, the Law Minister, -- Shri Veerappa Moily, is not here -- I think if he takes a leaf out of this Report and one of his proposed law reforms to expedite pendancy of arrears in the Legal Justice system, it would be judgment out-sourcing and this is what the Report seems to have done and the intrinsic evidence of who wrote the report is in the report itself and I will make it good.

- **The first question which comes to light is: Why did it take seventeen years for a commission to come to a recommendation which is being referred to as a dud recommendation?**
- **Was this opportunity being used by the gentleman who headed the Commission only to perpetuate self-employment?**

There are probably indications coming from a former Cabinet Secretary, who dealt with him, to the effect that this was true. I do not want to go much into the leakage of the document. But the manner of its leak is almost as dubious as the contents of this Report. My friend, the Home Minister has categorically stated here that neither he nor any of his officers leaked the Report. In fact, he was so cautious, he said that the only copy they had was in the lock and key. That is why perhaps the ATR was very difficult to make because the report was in the lock and key. When the leak took place I mentioned there was one other copy available perhaps with the Commission itself. After I read the Report, I must correct myself. I think, it was not one but two copies available outside the Home Ministry. One was, perhaps, with the Chairman of the Commission, and the second as is apparent from the contents of its Report with the de-facto author of the Report. And when I say de facto author, the Law Minister, -- Shri Veerappa Moily, is not here -- I think if he takes a leaf out of this Report and one of his proposed law reforms to expedite pendancy of arrears in the Legal Justice system, it would be judgment out-sourcing and this is what the Report seems to have done and the intrinsic evidence of who wrote the report is in the report itself and I will make it good.

I said, Sir, that the ATR itself indicates that it is an unimplementable document except for saying 'agreed', 'noted' or 'agreed with some political observations of the judge', all that the ATR says, is The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill be legislated. A Bill on which the Central Legislature may perhaps have no legislative jurisdiction and then it further says that some matters will be referred to the UPSC and some matters will be referred to the Election Commission. Sir,

I made a statement that the author appears to be somebody else. We are all familiar, at least some of my friends present here are as much familiar as we are or, perhaps, more with the language a judge writes. The first training of a judge is never to enter the political ticket. He looks at the evidence, he looks at the issue which he has to decide, and he links the evidence with the issue and comes to a conclusion. He does not go into political disputes. He does not start commenting on ideologies as to which ideology is good and which is bad. If a judge does that, it becomes a Commission which is not fact finding but a Commission with an ideology, and in this case, just let us read what the Commission says in the last paragraph of its Report on page 999. I am not only referring to the various political statements he has made. My friends, in the Left, will be very pleased that the draft person of the Report took some inspiration from Karl Marx and said, 'Religion is the opium of the masses.' He starts his political document...

Sir, after the Commission went on forth undreds of sittings and for 17 years, the Judge and the advocate assisting the Judge -- even in today's Hindustan Times -- has leaked out documents with his name mentioned which he says that the IB Report is available with the Commission prior to 6th of December, 1992. So, the Judge and the earlier advocate, Mr. Gupta, probably had differences. And, the Commission goes on to pass strictures against Mr. Gupta saying that he betrayed his trust. So, after the evidence was recorded, the entire arguments have been heard. This Judge, whose familiarity with the Queen's language was somewhat inadequate, needed a draftsman. So, he gets another gentleman only for the purposes of helping him to draft the Report. Now, what does the Report need to be done? Somebody has to go through the evidence, somebody has to get the ideas what is the direction of your findings, he has to correct and put the language in place and then he has to find who is guilty and who is not guilty. So, he is saying in the last paragraph of the Report, "Lastly, I am thankful to Harpreet Sing Giani, who has whole-heartedly spent days and nights over the last one year..." -- after the hearings were completed -- "...in helping me..." - to do what -- "...to analyse the evidence, coming to conclusions... editing the report... modifying language...adding to and modifying the ideas...to clear the mess created by predecessors." So, Mr. Giani

did all these things. Mr. Giani analysed the evidence, he came to the conclusions, he gave the ideas, he modified the Report, he added to the language and the Judge did the reset! Sir, as I said, if this is possible and the Government, in all seriousness, can say, 'we accept such a document", I think, judicial outsourcing may, perhaps, be one of the reforms that Shri Veerappa Moily should consider. He is attempting to bring down the arrears. Perhaps, that may speed up our trials and judgment writing. This is how this document was prepared. The core question -- Dr. Singhvi was right when he said it - was who demolished this structure and what is the evidence against those people? What is the evidence against those people? Was there a conspiracy or was it a spontaneous reaction of a small group? It was possible on evidence to come to any of the findings, but the finding had to be based on the evidence and the material which was laid before the Judge or the Commission. The Commission is to give a finding on evidence. The Commission is not to give a political opinion. The Commission is a truth investigator; a Commission is not a political pundit. I am afraid, this Judge, besides having outsourced the writing of this Report, and either he or outsourcer or the Home Ministry or anybody leaked it out, ignored the entire evidence which was placed before him and then come to a finding which was completely consistent with what was stated in the Report.

It was possible on evidence to come to any of the findings, but the finding had to be based on the evidence and the material which was laid before the Judge or the Commission. The Commission is to give a finding on evidence. The Commission is not to give a political opinion. The Commission is a truth investigator; a Commission is not a political pundit. I am afraid, this Judge, besides having outsourced the writing of this Report, and either he or outsourcer or the Home Ministry or anybody leaked it out, ignored the entire evidence which was placed before him and then come to a finding which was completely consistent with what was stated in the Report.

Sir, since Dr. Singhvi says that this is the 'highway.' Let us deal

with this 'highway.' I can go through each one of the pages which he has mentioned. For the benefit of some of the learned friends here, I mention the page. There were a large number of lawyers and parties appeared on behalf of certain Muslim organisations. The Judge records at page 15, "No evidence was led or information provided to the Commission with respect the conspiracy or pre-planning or the joint common enterprise by any of these counsels." So, the persons -- representatives of the Muslim organisations -- who are naturally aggrieved came up and said, "We have no evidence to prove any conspiracy." Then, he comes to others. At page 775 he says, "No documentary or direct evidence is possible in a conspiracy of this manner nor unimpeachable of firm evidence of some actions of planning of demolition is available." So, I have no evidence of any planning which is available.

On page 782, the Home Secretary, Mr. Godbole appears as a witness. Mr. Godbole stated that there was no information of planning and, as such, it could not be inferred that there was a conspiracy of the Congress and the BJP for demolition. This could not be accepted on the face of it, particularly, in the absence of any specific circumstances leading to such an inference. And, then, come the entire Intelligence agencies of this country and everybody else who had to give materials. So, at page 992, he says, "Neither the Police nor the investigative team of the Commission, that is, neither the CBI -- CBI was the police in this case -- nor the investigative team of the Commission, despite the prolonged process was able to identify any witness nor produce any witness, not a single witness, who could identify any of the demolishers or lead to any other evidence against suspects. Suspects were not even identified. Even after the unprecedented publicity throughout the long spell of inquiry, nobody came forward to advance the case or identify the persons who physically carried out the demolition or the ones who plotted the demolition." He then goes on to say at page 724, while indicting the RSS he says, "you planned it, but you kept the political leaders out of your knowledge." And, then, he says, " In totality, it becomes obvious that some leaders were consciously kept out of the operational area or planning in order to protect them and preserve their secular credentials for later political use." On the political leadership he says on page 994, "The Commission

observes that important leaders of political parties -- icons of movements, organisers of the movement-- continuously issued statements from time to time in relation to the conspiracy of demolition, but no affidavit was filed before the Commission by any of them."Sir, the Police led no evidence who demolished or an evidence of who plotted. The Muslim organisations which are aggrieved have no evidence. No evidence is led by any political person, not a single man is identified and you wait, merrily, for 17 years and then come to a finding that, well, yes, it could not have happened without the knowledge of X, Y and Z. Your ideology which

On the political leadership he says on page 994, "The Commission observes that important leaders of political parties -- icons of movements, organisers of the movement-- continuously issued statements from time to time in relation to the conspiracy of demolition, but no affidavit was filed before the Commission by any of them."Sir, the Police led no evidence who demolished or an evidence of who plotted. The Muslim organisations which are aggrieved have no evidence. No evidence is led by any political person, not a single man is identified and you wait, merrily, for 17 years and then come to a finding that, well, yes, it could not have happened without the knowledge of X, Y and Z.

started in 1925 is like this. The RSS stated in 1925. Your ideology is like this. Your ideology inherently promotes it. Therefore, you are the person who must be accused of this. I have no evidence, not a shred of evidence against you, but I have a political opinion against you; that is why, Sir, I ask myself this question. Was he a truth investigator or was he a political pandit? For some of these Commissions, heads are chosen. On important matters, you have inquiries whose precedents are cited for generations -- The Vivian Bose Inquiry, The Justice Das Inquiry - these were all inquiries held in the 50's where you picked up the most illustrious sitting Judge of the Supreme Court and asked him to inquire.

When Britain was shaken by the Profumo scandal, you asked Lord Denning to investigate and head a Commission? Here when the incident takes place, you go and choose a junior Judge of the

Punjab High Court. How does your eyes fall on him, Sir? Sir, there is a popular saying or a belief with all our appointment processes of Judges at the Bar, when they say that there are two kinds of judges. There are those who know the law and there are those who know the Law Minister. And, I am quite clear that this Judge fell in the second category, and, that is how a junior Judge of the Punjab High Court was chosen.

Sir, I will respect your ruling. But a Commission of Inquiry headed by a retired Judge gives a Report. We are debating it. And it has large ramifications. If you give somebody the authority to make sweeping allegations against people, then, perhaps, all the facts would also have to be gone into. Having said this, Sir, a report must be a document which carries credibility. A report cannot be a document which becomes the subject matter of an endless controversy. A report cannot be a document which becomes un-implementable. A report cannot be a document which becomes a national embarrassment, as I will just show as to what this Report has done. Sir, the difficulty is that you pick up a puny Judge who uses 17 years to perpetrate a self employment and then, the character of the Report almost appears to be an application for a future employment! If these are the kinds of reports these Commissions are going to give, I am afraid the credibility of the entire institution will go down. That is why, we read in newspapers, 'Judges and former Judges now commenting whether Judges should at all be heading such Commissions', which are to be used for entering the political thicket rather than only going into judicially determinable matters.

Who is the leader of the Ayodhya Movement against whom they tried to find an evidence but could not find? It was Prof. R.S. Sharma and Prof. D. N. Jha, two well-known Leftist historians, who appeared on the negotiating side of the Babri Masjid Action Committee. Who is the 'karsevak'? You are embarrassed only by the name of Mr. Jagadambika Pal. So, who is the 'karsevak'? It is Col. B.S. Zaidi of the Babri Masjid Action Committee.

So, what does this Report say? Let me start off. When I said the Report is probably an outsourced document -- it is not like, as

Dr. Singhvi says,there is one trivial error here or there; if a Judge has heard the evidence and the Judge is writing the Report, every fact he says will be connected to the document. Now, I think my friend, Shri Sitaram Yechury, here would appreciate this. I turn page after page. I was reading page 282. Who is the leader of the Ayodhya Movement against whom they tried to find an evidence but could not find? It was Prof. R.S. Sharma and Prof. D. N. Jha, two well-known Leftist historians, who appeared on the negotiating side of the Babri Masjid Action Committee. Who is the 'karsevak'? You are embarrassed only by the name of Mr. Jagadambika Pal. So, who is the 'karsevak'? It is Col. B.S. Zaidi of the Babri Masjid Action Committee. It is at page 271. I am afraid the Home Minister has to bend backwards to come up with an, and not so convincingly, explanation. Page 270 says, "Persons or leaders or Sadhus and Saints who participated in the Movement." The word 'Movement' is continuously used throughout the Report as the Ayodhya Movement. He mentions here the DGP, Intelligence. See page 69, it is elementary. You ask a primary school child what is the date of birth of Mahatma Gandhi and what is the date of his assassination, he will give it to you correctly. He gives the date of Gandhi's assassination wrong. See page 562. After spending 17 years in doing a research on the RSS and BJP as to who was the founder of the RSS, he says it was Veer Savarkar and Hedgover only succeeded him. He erred on basic facts and it leads to my suspicion. These are not all facts which came in the course of a hearing. My colleague mentioned in the other House yesterday. Just turn to page 566, if you can defend this. He wanted to damn the BJP. So, he said that BJP's ideology is like the Muslim League's ideology of Jinnah. That is the argument he wanted to build. So, to build up this argument up, he needed a fact. At page 566, para 85.14, and this is important, he comes to a finding. He says, "Deen Dayal Upadhya by his conduct agreed with MA Jinnah's theory that Hindus and Muslims were two separate nations." Then, he allegedly quotes Deen Dayal Upadhya's saying and the quote is, "The problem of India is not intercaste, it is international. If peace is to reign here, the major communities must be given their own separate chunks of land. It is nothing but a mere dream to imagine that Hindus and Muslims can stay together in India as members of a composite nationality. The

Muslims are not a minority community, they are a nation. They must have their own independent land and their own State." When we read this, we were all surprised how could Deen Dayalji have said this? We started researching the source of this quote and we found out that he picked up the quotation of Mohammad Ali Jinnah put it in the mouth of Deen Dayal Upadhya and said that look the views of Deen Dayal Upadhya and Jinnah are the same. And you want to tell the whole country to treat this Report with any sense of seriousness. He picks up Jinnah's quotation, puts it into Deen Dayalji's mouth and said that look their views appear to be similar. Then he suddenly realises that it is not his quote. No judge who hears the case, who hears the evidence and then on the basis of that evidence gives findings on facts will ever come to a conclusion of this kind. At ten places he says that 'there is no evidence of conspiracy' and then says, "I think, this couldn't have happened without conspiracy.' My friend Amar Singhji just mentioned it. He has a huge bias, I will tell you, against the whole idea of a Ram Temple at Ayodhya. He has a huge bias against social justice and the Mandal Commission. I would like the Home Minister to read these two paragraphs at page 556. No Judge who writes on judicially determinable matters would give a political discourse of this kind. "Our leadership must step forth and with more equal responsibility and put a lid on the mischievous element in the society bent upon exploiting the factors referred to above, for their individual aggrandizement through repression, misguidance, acquiring power through mass means and improper reliance on philosophies such as Hindutva, Mandal, sons of soil, etc.

Now, suddenly, he says, "Mandal is a divisive philosophy. You must not rely on Mandal as a political leadership of this country." Now, Mandal recommendations are something which have almost been unanimously accepted by this country and implemented. The Judge has a bias on his past reservations and postings. So, he brings in this. How was this connected?

Sir, I will decline my friend, Mr. Kapil Sibal's, invitation to get into sidelines. The issue is, the gentleman investigating the facts and circumstances leading to the events on 6th December, 1992, now has a whole theory on Mandal. It is not an isolated observation. Read recommendations on page 970. Read the two paragraphs

together, that is, para 173.8 and para 173.9. In para 173.8, he says that the recruitment policy of the Government of India must change. Recruitment must be on merit alone. He does not want to lose over Mandal here. He has said it in the body of the Report. He says, "merit alone", and in next paragraph, he says, "The civil servants, who are posted at the helm of affairs, ought to be picked for the skills that they are required to exercise, rather than for completely unrelated academic skills or for casteist or regional basis." The ATR says, "This recommendation will be referred to the UPSC." - para 6.6. Now, where is the gentleman? I do not know whether these are the ideas of Justice Liberhan or the gyan of one gyani because it is still not clear as to who wrote this report. But, you are investigating something...

After seventeen years of wasting public time and money, the situation is that you are still. Sir, these are not trivial errors. My friend, Dr. Singhvi said, "Oh, he has made some trivial errors. You made trivial errors. But the whole Report is a compilation of howlers, the whole Report is a tragedy of errors, rather than a comedy of errors, and, there are hundreds of these kinds.

Sir, I am only substantiating what are really the contents of this Report and I will come to the key contents which I have referred to in the context of conspiracy. Just read page 540. At page 540, he now refers to the political leadership of India. The discussion starts at 539. How is it concerned with the events of 6th December and events leading to that? I will just read the relevant sentences, and this is not on the BJP or RSS; this is on the entire political leadership of the country. I quote, "The loss of political neutrality and the convenience with which justification can be found for every action has rendered all objectives of peaceful civilized society as enunciated by intellectuals, leaders, philosophers, thinkers since ancient times, obliterated. 79.4. The law - common or constitutional, morals, ethics, epics and everything else is being examined in the scales of politically desirable results. It is immaterial whether those results are legitimate or healthy for democratic governance. Everyone is out to become a Politician rather than a Statesman." And, in the next sentence -- he could not have given an 8(b) notice

to all of us -- he says, "The politician has become the epitome of the proverbial rags-to-riches story. 79.5. The common Indian has formed the firm belief already that the ills that face us can be traced to the political leadership and can be cured by a voluntary reform in the political parties in India...".

Only one fact turns in it and I am glad that you have answered that question, which I have been asking. I have repeated that sentence. Was he a truth investigator or a political pandit?

Read these observations and you will get the answer. And, it will be clear that he was dwelling on a political path not concerned about other things because when it comes to the question of who demolished it, he says that he cannot identify a single person.

After seventeen years of wasting public time and money, the situation is that you are still. Sir, these are not trivial errors. My friend, Dr. Singhvi said, "Oh, he has made some trivial errors. You made trivial errors. But the whole Report is a compilation of howlers, the whole Report is a tragedy of errors, rather than a comedy of errors, and, there are hundreds of these kinds. What does he say about Gulzari Lal Nanda? The last I heard of Gulzari Lal Nanda was that after being the Prime Minister of this country for a short duration, he lived in a barsati in Defence Colony, and, he was dispossessed, and his luggage was on the road before he passed away. About Gulzari Lal Nanda, he says on page 336, Rajendra Singh, the RSS leader, Dau Dayal Khanna, and, Gulzari Lal Nanda, die-hard Hindus -- was there any evidence against Gulzari Lal Nanda - in connivance with people with similar thoughts, started conceiving and exploiting a local dispute at the national level, maybe for their selfish political needs, -- what was Gulzari Lal Nanda's political need in 1992 -- or, for achieving the old theory of Hindu rashtra. He was your Prime Minister, your Party's Prime Minister. When did he become a supporter of Hindu rashtra? If you are given to head a Commission of Inquiry, how can you pass any comment about anyone without having gone through a procedure? Mr. Amar Singh was very agitated that something has been said about Deoraha Baba, and, Dr. Singhvi said, "Oh, it is a mistake in that list of 68 people, where he uses the word 'culpable'." I am afraid that is only half-truth. Let me read the full sentence which he has written about Deoraha Baba at page 427. "Open threats by exhorting the dacoits

to take on arms for the Ram temple were made by Ashok Singhal, Deoraha Baba, and, Harishbhai". Deoraha Baba asked the dacoits to pick up the arms and come in support of Ram temple. Mr. Home Minister, please show us the evidence which led to this conclusion.

सर, रिपोर्ट के अंदर जब सब तरफ से यह आ गया कि किसी षड्यंत्र की गवाही नहीं है, किसी ने कोई तथ्य नहीं दिए षड्यंत्र के संबंध में, तो फिर यह कमीशन आडवाणी जी को और उनके अन्य साथियों को कैसे Indict करता है। किसी ने यह नहीं कहा। अब किस प्रकार का तर्क कमीशन ने ढूंढा, and the relevant page is 255. मैं एक लेडी IPS Officer का नाम डा. सिंघवी से सुन रहा था, वह उस दिन के लिए श्री आडवाणी जी की PSO थी। उसने बयान दिए हैं, एक लिब्रहान आयोग के सामने और एक सीबीआई को रायबरेली की अदालत में। आडवाणी जी मंच से खड़े होकर अपील कर रहे हैं और आडवाणी जी के साथ–साथ नाम लिखते हैं पेज 255 पर श्री एल. के. आडवाणी, डा. मुरली मनोहर जोशी, श्री अशोक सिंघल, विजय राजे सिंधिया, श्री एच.वी शेषाद्रि ये सब लोग अपील कर रहे हैं, जो 50, 60, 70 लोग डोम के ऊपर चढ़ गए थे कि आप नीचे उतर आइए, मत चढ़िए। बार–बार अपील कर रहे हैं, लेकिन वे लोग नीचे नहीं उतरे। आडवाणी जी ने इस PSO महिला को यह कहा कि मैं स्वयं वहां पर जाता हूं। स्वयं वहां पर गई, वापिस आई और कहा कि वहां पर तनाव है, आपको जान की अनुमति नहीं है। यह evidence में है। फिर आडवाणी जी ने कहा कि मैं उमा भारती को भेजता हूं कि वहां जाकर उन लोगों को नीचे उतारिए। अब ये षड्यंत्र में कैसे शामिल हो सकते हैं– शेषाद्रि जी संघ के सबसे प्रमुख लोगों में से थे, आडवाणी जी भाजपा के अध्यक्ष थे, अशोक सिंघल जी VHP के प्रमुख थे। Now, what is the logic he contrives to disbelieve this? And, the logic is, आपने जो अपील की, यह कहा कि डोम से नीचे उतर जाइए, यह नहीं कहा कि गर्भ गृह के अंदर नहीं जाइए। इसलिए यह बहुत खोखली अपील थी। It was a feeble appeal and, therefore, your real intention was that it be demolished.

उपसभाध्यक्ष जी, अब इस तरह का तर्क ले लेना कि आपने कहा कि डोम से उतरिए, आपने कहा कि मैं स्वयं जाउंगा, आपने उमा भातरी को वहां भेजा, लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं थी, क्योंकि आपने यह शब्द प्रयोग नहीं किया कि गर्भ गृह के अंदर मत जाइए, therefore, everthing is disbelieved. इस तरह के तर्क पर पहुंचने के लिए किस तरह की मानसिकता चाहिए, वह

मानसिकता मेरे अगले तर्क से स्पष्ट होती है। अब विवाद आता है कि यहां पर 1528 से पहले क्यों ढांचा था? इसके संबंध में पेज 23 पर वे कहते हैं कि अयोध्या के बारे में धारणा है कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है। पेज 63 पर कहते हैं कि 1934 से जहां नमाज नहीं पढ़ी गई। 1885 में एक ब्रिटिश जज का अपील में जो जजमेंट था, उसका भी जिक्र है, जिसका वाक्या है, "It is most unfortunate that a masjid should have been built on a land sacredly held by the Hindus, and as it occurred 356 years ago, it is too late to remedy the grievance" ये सब नोट करते हैं, उसके बाद वे कहते हैं, पेज 561 पर, "The History books produced before the Commission as well as the White Paper of the Government of India and the BJP and the various contentions of various counsels are unanimous". सर्वसम्मति है इस बात पर कि "In 1528, Emperor Babar ordered Mir Baqi, his commander, to erect a mosque at Ayodhya". ये सारे तथ्य चिदम्बरम साहब ने उस सदन में ठीक कहा कि ये तो Title Suit है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और क्योंकि Title Suit इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, लिबरहान साहब को यह finding नहीं देनी चाहिए थी। वे पूरे के पूरे तथ्य लिखते हैं और लिखने के बाद कहते हैं कि सर्वसम्मति थी कि 1528 में जहां जन्म स्थान था, वहां पर एक मस्जिद बनी। ■

लोकसभा

यह रिपोर्ट साम्प्रदायिक दुर्भावना का दस्तावेज है, हम इसे खारिज करते हैं

— सुषमा स्वराज

पहले दौर में हमारी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारा दृष्टिकोण सदन में प्रस्तुत किया था। मैं उनकी बातों से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए उन्हें नहीं दोहराऊंगी। केवल उनके द्वारा अनछुए पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगी। 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में यह विवादित ढ़ांचा गिरा, यह एक हकीकत है। यह एक जगज़ाहिरा हकीकत है। लेकिन क्या यह ढ़ांचा एक साजिश के तहत गिराया गया था? क्या यह ढ़ांचा गिराने के लिए कोई षड्यंत्र रचा गया था या कोई पूर्व योजना बनी थी?

वहां डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इसे विवादित ढ़ांचा कहा जाए या इसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर कहा जाए, नहीं तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और बार–बार लिब्रहान आयोग ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया है। मैं अभी केवल इतना कह रही थी कि इन बातों की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। मैडम, 16 दिसम्बर 1992 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी और अधिसूचना में 5 काम उन्हें सौंपे गये जो बहुत साथियों ने बताए, मैं उन्हें पढ़ूंगी नहीं लेकिन तीन महीने का समय इस आयोग को दिया गया था। इस अधिसूचना की प्रति मेरे पास है। "The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than three months." कानूनी भाषा में इसे मेंडेटरी कहते हैं, यहां चिदम्बरम जी बैठे हैं। भाषा यह भी हो सकती थी कि "The Commission will submit its report within three months." अगर यह कहा गया था कि तीन महीने के भीतर दी जाए तो समयावधि बढ़ाने की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन अगर भाषा यह बन जाए कि not later than three months. यानी किसी भी कीमत में तीन महीने से ज्यादा देर न की जाए और इसकी रिपोर्ट दे दी जाए,

यह मेंडेटरी होता है लेकिन तीन महीने की जगह 17 वर्ष लगे, 48 बार समयावधि बढ़ाई गई। दुर्भाग्य की बात है कि आज हम रिपोर्ट के बाद वहीं खड़े हैं जहां 6 दिसंबर, 1992 को खड़े थे।

यह तो सबको मालूम है कि ढांचा गिरा था लेकिन हम पहले दिन से कह रहे थे कि इसके लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया, कोई पूर्व योजना नहीं बनी। अगर सब इसके विपरीत था तो आयोग से यह अपेक्षा थी कि वह उस सत्य को उद्घाटित करे। आयोग से यह अपेक्षा थी कि सबूतों के साथ जनता के सामने सच्चाई पेश करे। यह काम करने के लिए आयोग को तीन तरफ से मदद मिल सकती थी– एक; सीबीआई की टीम जो जांच कर रही थी, तथ्य जुटा रही थी; दूसरा, राज्य और केंद्र सरकार की खुफिया और गुप्तचर एजेंसियां जो जांच कर रही थी, जिनके पास खुफिया सूचनाएं होती हैं; तीसरा, वे मुस्लिम संगठन जो इसे कांस्पिरेसी बता रहे थे और कह रहे थे कि साजिश के तहत गिराया गया है। इन तीनों के बारे में लिब्रहान की रिपोर्ट में जो टिप्पणी की गई है, मैं आपको पढक़र सुनाती हूं कि सीबीआई के बारे में लिब्रहान क्या कहते हैं – "A sincere endeavour has been made to lay the bare facts before the people. The team consisting of officers drawn from the CBI made an effort to find out the facts and collecting evidence in support of the facts but they have not come to any conclusion relating to them." यह सीबीआई के बारे में लिब्रहान की टिप्पणी है कि उन्होंने तथ्य जुटाने की बहुत कोशिश की, भरपूर कोशिश की लेकिन कांस्पिरेसी का कोई भी तथ्य जुटा नहीं पाए। यह रिपोर्ट सीबीआई के बारे में है। अब इंटेलीजेंस एजेंसी की बात करते हैं। "Given the scope of the enquiry, the Commission was heavily dependant on the cooperation of the State Government, the Central Government and private individuals. The State and Central Intelligence Agencies were both over optimistic in their assessments and guilty of gross failure. Or in the alternative, they withheld the crucial records and analysis from the Commission. " वे जो कह रहे हैं कि उन्होंने विदहोल्ड किया, उनके पास कुछ था ही नहीं, तो वे देते क्या? इंटेलीजेंस एजेंसी के बारे में लिब्रहान का यह कहना है। अब मैं मुस्लिम संगठनों की बात कहती हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से युसूफ मुछैला एक एडवोकेट थे, जो लिब्रहान कमीशन को असिस्ट कर रहे थे। "Yusuf Muchela representing the Muslim Personal Law Board had cross-examined some key

witnesses like L.K. Advani in part. No evidence was led or information provided to the Commission with respect to the conspiracy or the pre-planning or the joint common enterprise by any of these counsels."

मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के गृह मंत्री एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं। चिदंबरम जी, कम से कम आप तो एविडेंस को एप्रिशिएट कर पाएंगे। आप मुझे बताइए कि तीनों चीजें, जो ये तथ्य जुटा सकती थीं, साक्ष्य ला सकती थीं, जो सबूत पेश कर सकती थीं लेकिन लिब्रहान कमीशन रिपोर्ट कहती है कि न सीबीआई तथ्य जुटा पाई, न इंटेलीजेंस एजेंसियां मदद कर पाई और न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हमारे सामने कोई सबूत पेश कर पाए कि यह कोई योजना थी, कोई षड्यंत्र था या साजिश थी। लेकिन इन तीनों के बावजुद लिब्रहान रिपोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, मैं वह निष्कर्ष पढ़कर सुनाना चाहती हूं – "The utilization of such huge monies is a categorical pointer to the planning and pre-planning carried out for the entire process of the movement commencing with mobilization onwards right uptill the very demolition itself." यह कैसा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है? कोई तथ्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं। चूंकि पैसा है, वे भी वे कह रहे हैं कि पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ और यह अपने आप में प्वाइंटर है कि प्रिप्लानिंग थी, कांस्पिरेसी थी, केवल मूवमेंट की नहीं बल्कि डिमालिशन की। मैंने प्राथमिक टिप्पणी की थी जिस समय यह रिपोर्ट आई थी – "That findings of this Report are perverse, ill-founded and against the evidence placed before the Commission." यानी इस रिपोर्ट के निष्कर्ष विकृत हैं। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष निराधार हैं और उपलब्ध सबूतों के विपरीत हैं। मैंने यह पहला तर्क इस बात को पुष्ट करने के लिए रखा है और जो कि मेरी प्राथमिक टिप्पणी थी। मैंने तब तक पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, सरसरी पढ़ी थी। लेकिन जैसे मैं पन्ना दर पन्ना पढ़ती गई वैसे मेरी धारणा पुष्ट होती गई। अपने उसी तर्क को पुष्ट करने के लिए दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। इस पूरी रिपोर्ट में उस समय की केन्द्र सरकार पर पहले भी और बाद में भी बहुत तल्ख टिप्पणियां की गई हैं। मैं एक टिप्पणी आपको पढ़कर सुनाती हूं। "The Central Government was crippled …"यह उस सैंट्रल गवर्नमैन्ट की बात है, जिस समय श्री नरसिम्हाराव जी प्रधान मंत्री थे' "The Central Government was crippled by the failure of the Intelligence Agencies to provide an analysis of

the situation; it stayed its hand, deferring to the hon. Supreme Court, which had taken up the matter and was dealing with them in appropriate directions." यहां पर जस्टिस लिब्रहान कह रहे हैं कि उस समय की केन्द्र सरकार अपाहिज हो गई थी। वह सारे मसले को सुप्रीम कोर्ट को सौंपकर हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। यह एक टिप्पणी है। दूसरी टिप्पणी जो मैं पढ़ना चाहती थी, वह श्री पिनाकी मिश्रा जी ने पढ़ दी है, इसलिए मैं सदन का समय नहीं लेना चाहती, जिसमें उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूं कि आप जिस केन्द्र सरकार को अपाहिज बता रहे हैं, असहयोगी बता रहे हैं, उस केन्द्र सरकार के मुखिया कौन थे – स्व.श्री पी.वी.नरसिम्हाराव। कमीशन ने उन्हें तलब किया था। कमीशन के काउंसिल ने उनसे सवाल–जवाब किये थे। श्री पी.वी.नरसिम्हाराव के खिलाफ गवाहियां आई थीं और एक गवाह श्री मुलायम सिंह यादव इस सदन में मौजूद हैं, इन्होंने एफिडेविट दिया था, जिसमें गवाही दी थी। लेकिन पूरी की पूरी रिपोर्ट में एक शब्द भी प्रतिकूल टिप्पणी का श्री नरसिम्हाराव के खिलाफ नहीं हैं। एक जगह उनका नाम आता है, वह भी धन्यवाद देने के लिए आता है कि मैं धन्यवाद देता हूं कि श्री नरसिम्हाराव मेरे सामने पेश हुए। बाकी एक भी टिप्पणी उनके खिलाफ नहीं है। मगर इसके विपरीत श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें कमीशन ने कभी तलब नहीं किया। तलब करने की जरूरत नहीं समझी। जिनसे किसी ने सवाल–जवाब नहीं किये, जिनके खिलाफ एक भी गवाही नहीं है। "Not an iota of evidence was placed before the Commission." 22 जगह उनका नाम लिया गया, उनका नाम अपराधियों की सूची में डाला those who are culpable और उनके माथे अपराध भी क्या मढ़ा, देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का।

कल राजनाथ जी ने 8बी के नोटिस की बात की थी। जब श्री सलामन खुर्शीद बोल रहे थे तो वह कह रहे थे कि 8बी के पीछे छिपने की बात क्यों कर रहे हो। क्यों भाई, यह अच्छा है, जब आपको सूट करे तो आप कानून और विधान की बात ले आओ और जब हम कानून और विधान की बात कहें तो आप कहें कि आप 8बी के नोटिस के पीछे क्यों छिप रहे हैं? सलामन खुर्शीद साहब मैं केवल कानून की धारा की बात नहीं कर रही हूं। मैं देश के लॉ आफ दि लैंड की बात कर रही हूं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कर रही हूं। सैक्शन 8बी तो स्पष्ट है ही कि आप जरूर दर जरूर अगर किसी के खिलाफ टिप्पणी करना चाहते हैं तो 8बी का नोटिस दीजिए। लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमैन्ट भी आया है। भागलपुर के

दंगों में जब कमीशन की रिपोर्ट आई तो आदरणीय आडवाणी जी का नाम उन्हें 8बी. का नोटिस दिये बिना दे दिया गया। आडवाणी जी उनके नाम को शामिल करने के खिलाफ हाई कोर्ट में गये और उन्होंने एक याचिका दायर की। उन्हें वहां से राहत मिली, उनकी याचिका मंजूर हो गई। लेकिन स्टेट ऑफ बिहार उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमैन्ट पढ़कर सुनाना चाहती हूं। "It is thus incumbent upon the Commission …" चिदम्बरम जी, आप ध्यान से सुनेंगे, आप बहुत अच्छे से जजमैन्ट्स को एप्रिशिएट कर सकते हैं। "It is thus incumbent upon the Commission to give an opportunity to a person before any comment is made or opinion is expressed which is likely to prejudicially affect that person. Needless to emphasize that failure to comply with the principles of natural justice renders the action non-est as well as the consequences thereof." मैं यहां एक बात और बता दूं कि 8बी का नोटिस नहीं दिया गया, केवल इतना ही नहीं है, 8बी का नोटिस देने की दर्खास्त एक व्यक्ति ने कमीशन को दी थी। उसका नाम असलम भूरे है। उसने लिब्रहान कमीशन से कहा था कि आप अटल बिहारी वाजपेयी को भी तलब करिये। श्री ओ.पी.शर्मा वकील के तौर पर पेश हुए । जस्टिस लिब्रहान ने वह एप्लीकेशन सुनी थी और 18 पेज का एक ऑर्डर उन्होंने सुनाया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं वह ऑर्डर पढ़कर सुनाती हूं। "I am satisfied that no useful purpose would be served in summoning the Prime Minister at this stage of inquiry on the advice by the Counsel for the Commission." महोदया, कमीशन के काउंसिल ने कहा था कि उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत ही नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब, मैं कहना चाहती हूं, यह नहीं है कि 8बी का नोटिस नहीं दिया गया, 8बी के नोटिस की एप्लीकेशन जस्टिस लिब्रहान ने खारिज की और कहा कि उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें कहते हैं कि आप 8बी के नोटिस के पीछे छिप क्यों रहे हैं? महोदया, यह विकृति केवल वहीं तक नहीं रही, यह विकृति रिपोर्ट के आने के बाद भी जारी रही।

यह रिपोर्ट 24 तारीख को सदन मे पेश हुई। 24 तारीख को ही टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कोरेस्पांडेंट ने जस्टिस लिब्रहान से बात की। उन्होंने उनसे पूछा कि अटल जी को बिना सम्मन किए, आपने उनके खिलाफ टिप्पणी कैसे कर दी? आप सुनिए, मैं पढक़र सुनाती हूं कि जस्टिस लिब्रहान

ने क्या कहा? "Asked how he could have indicted Vajpayee who was never summoned to appear before the Commission in breach of Section 8(b) of the Commission of Inquiry Act, 1952, Justice Liberhan told Times of India from Chandigarh that "he never indicted the former PM. Please read the report in its context and show me a single reference to Vajpayee which can be construed as an indictment, Justice Liberhan said, pleading that no irresponsible reference be manufactured from his report?." No irresponsible reference be manufactured from his report. महोदया, यह उनका 25 तारीख को दिया हुआ इंटरव्यू है। यह 25 को छपा और 24 की शाम को दिया, लेकिन चार दिन के बाद जस्टिस लिब्रहान बदलते हैं और हिन्दू को एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में क्या कहते हैं– "Speaking to this correspondent from his Chandigarh home Justice Liberhan said that the Commission issued notice to the BJP and many of its leaders were examined as witness. He said: "Nobody can dispute that Mr. Vajpayee is a tall leader in that party which is a legal entity. Just like a Managing Director is responsible for the misdeeds of a company, a leader is equally responsible for the misdeeds of a party." महोदया, 25 तारीख की यह रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं मुलायम सिंह जी और पिनाकी मिश्रा जी से सहमत हूं कि जस्टिस लिब्रहान ने यह रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी। यह अपने आप में खोज का विषय है कि यह रिपोर्ट किसने लिखी है और यह रिपोर्ट किसने लिखायी है? 25 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में जस्टिस लिब्रहान कहते हैं कि मेरी पूरी रिपोर्ट में कहीं अटल जी का नाम तो दिखाओ। वह कहते हैं कि "Read the report in its context." महोदया, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं, लेकिन उसके बाद उन्हें लोगों ने जाकर दिखाया कि साहब, आप रिपोर्ट पढक़र तो देखिए, इसमें तो 22 जगह अटल जी का नाम है और उनका नाम अपराधियों की सूची में है। उन्होंने यह तर्क गढ़ा कि मैंने तो बीजेपी को नोटिस दे दिया था, जरूरत क्या थी। एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रेस्पांसिबल होता है, उसी तरह से वे रेस्पांसिबल हैं। महोदया, मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रेस्पांसिबल हैं तो वह कंपनी जो उस समय शासन कर रही थी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी कैसे हो सकते हैं? उनके मैनेजिंग डायरेक्टर पाक–साफ घोषित कर दिए जाएं, उन्हें सारी जिम्मेदारियों से बरी कर दिया जाए। यह एक संयोग है कि उस समय के उस कंपनी के एक डायरेक्टर आज इस

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर बैठे हैं। सरदार मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। यह कोई छोटा–मोटा ओहदा नहीं होता है। वे उस सरकार के वित्त मंत्री थे, वे उस समय डायरेक्टर भी थे और आज वे इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जिम्मेदार हैं तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी नहीं हो सकते। राव साहब को खुली छुट्टी, नरसिम्हा राव को क्लीन चिट और अटल बिहारी वाजपेयी अपराधी, यह विकृति नहीं तो और क्या है। मैंने कहा था कि मैं अपने इस आरोप को पुष्ट करूंगी कि यह विकृत भी है, सबूतों के खिलाफ भी है और यह निराधार भी है।

अपनी बात को पुष्ट करने के लिए ये दो तर्क मैंने दिए और अब मैं तीसरी बात कहना चाहती हूं। लिब्रहान कमीशन को पांच काम सौंपे गये थे। तीन काम किये, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर बोले, सरकमटांसिस पर बोले, मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारियों की भूमिका पर बोले, अब कोई भी रिपोर्ट दी, सही दी, गलत दी, सच दी, झूठ दी, सत्य दी, असत्य दी मगर दी। यह काम उन्हें किसने सौंपा था? सेक्युलरिज्म के ऊपर 26 पेज का एक निबंध लिख डाला। आर.एस.एस., बीजेपी के संबंधों पर पूरा थीसिस जड़ दिया। मुस्लिम संगठनों की आलोचना में एक पूरा लेख लिख डाला। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि यह एक न्यायाधीश द्वारा दी गई न्यायिक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक अवसरवादी द्वारा दी गई एक राजनैतिक रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहती हूँ चिदम्बरम जी से कि कौन सी ख्वाहिश पूरी की है आपने जज साहब की? विश लिस्ट बहुत लंबी थी, मुझे जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से लेकर राज्यपाल से होती हुई वह विशलिस्ट राजदूत तक पहुँचती थी। लेकिन अब तो उन्होंने अपने रिकमंडेशंस के चैप्टर में ही अपने लिए तीन नौकरियाँ खोज दी हैं। किस पर सहमति हुई है ज़रा बता दीजिए। आज नहीं बताएँगे तो महीनों बाद पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह रिपोर्ट पूरे तोल–माप कर समय नियत होने के बाद दी गई है, जब सारी अनिश्चितताएँ समाप्त हो गईं। जब नई सरकार आ गई और पता लग गया कि अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं बची, तब यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में से निकली है।

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि 17 साल कितने होते हैं? एक किताब मेरे हाथ लगी थी जिसका शीर्षक था 6000 डेज़। बहुत आकर्षक सा शीर्षक लगा। मैंने उठाकर देखी। अमिया राव की लिखी हुई किताब है। अमिया राव को आडवाणी जी जानते हैं। यह स्टरलिंग पब्लिकेशन की किताब है 6000

डेज़। मैंने पलटकर देखा कि देखूँ तो किसके बारे में लिखा है 6000 दिन। अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू के कार्यकाल की वह किताब है। इस देश में 6000 दिन उन्होंने राज किया – वह 17 साल बनते हैं। 1947 में प्रधान मंत्री बने और 1964 में देहान्त हुआ। 1952 का चुनाव जीते, 1957 का चुनाव जीते, 1962 का चुनाव जीते, तब जाकर 17 साल पूरे हुए। लेकिन जब मैं इन दिनों का हिसाब लगा रही थी कि 16 दिसंबर 1992 को अधिसूचना जारी हुई और 30 जून, 2009 को यह रिपोर्ट पेश की गई, तो जानती हैं, कितने दिन बनते हैं – 6036 दिन। यानी एक प्रधान मंत्री का पूरा कार्यकाल निकल गया और वह कार्यकाल जिन्होंने सबसे ज्यादा देर इस देश में राज किया। एक प्रधान मंत्री का पूरा कार्यकाल निकल गया और यह रिपोर्ट उसके भी 36 दिन बाद आई है। 6036 दिन के बाद यह रिपोर्ट आई है। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि यह रिपोर्ट कैसे कैसे निष्कर्ष लेकर आई है। इसीलिए 17 साल के बाद जो टिप्पणियाँ छपी हैं अखबार में – "17 years, 48 extensions, eight crores and a dead Report." दूसरी टिप्पणी छपी – ''17 वर्ष और 1700 पेज की रद्दी। ''तीसरी टिप्पणी छपी – ''खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वह भी मरी हुई!'' कैसे कैसे निष्कर्ष निकाले हैं इन्होंने।

एक निष्कर्ष है इनका कि अयोध्या तो कोई मूवमैंट ही नहीं है, आंदोलन ही नहीं था। मैं पढक़र सुनाती हूँ। इसमें इन्होंने कहा – "Though the Report uses the verbiage `movement? frequently", हम बार बार इसमें आंदोलन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह रिपोर्ट कह रही है, "The demand for a temple at Ayodhya never really became a public movement in the true sense of the word. While traditionally the word movement has been used to denote a collective desire of the public to secure a particular result, the Ayodhya temple never achieved the proportion more close to this level. The use of the word `movement? notwithstanding the Ayodhya episode was never accompanied by a public movement." मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूँ जस्टिस लिब्रहान को, कि जन–आंदोलन के दृश्य एयर–कंडीशंड कमरों मैं बैठकर नहीं देखे जा सकते। जन–आंदोलन के दृश्य अगर देखने हैं, तो तपती दुपहरी और ठिठुरती रातों में, धूल–धक्कड़ भरी सड़कों पर खड़े होना पड़ता है, तब जन–आंदोलन के दृश्य दिखाई पड़ते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं उस मूवमैंट की साक्षी रही हूँ। अध्यक्ष महोदया, आडवाणी जी की राम रथ यात्रा में हरियाणा खंड में मैं उनके साथ थी। वे दृश्य आज

तक मेरी आंखों में जस के तस जिन्दा हैं। महिलाएं हाथ में आरती की थाली लेकर आती थीं, रथ के सामने खड़े होकर बोनट पर स्वास्तिक बनाती थीं और फिर रथ की आरती उतारने के बाद उसके पहियों की धूल अपने माथे से लगा कर अपने आपको धन्य समझा करती थीं। वे दृश्य मैंने देखे हैं। अध्यक्ष महोदया, कारसेवकों की वह कहानियां अभी तक मेरे कानों में गूंजती हैं। अध्यक्ष महोदया, जब मुलायम सिंह जी ने अयोध्या पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह ऐलान किया था कि वहां एक परिन्दा भी पर नहीं मार सकता। उस समय तमाम कारसेवक वाहन छोड़ कर पगडंडियों के रास्ते गांवों से होते हुए अयोध्या जा रहे थे। जहां भी गांव में रात हो जाती थी तो वहां के लोग आकर आग्रह करते थे कि आप हमारे घर में रुको, विश्राम करो। उस समय उन घरों की गृहणियां गर्म पानी में नमक डाल कर उन कारसेवकों के चरण धोती थीं। सरसों का तेल लगा कर उनके पैर के तलवों की मालिश करती थीं और आंखों में आंसू भर कर उन कारसेवकों से अपनी भोजपुरी में कहती थीं कि भैया, हम तो वहां न जाय सकत, पर तुम्हार चरण पथार कर हम पुण्य कमा लें। वे कहती थीं कि हम वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम्हारे चरण पथार कर जितना थोड़ा पुण्य मिलता है, वह हम ले सकते हैं। मध्यम वर्ग की महिलाएं घर से आलू–पूरी बना कर कारसेवकों के लिए भेजा करती थीं। मुलायम सिंह यादव जी गवाह हैं, अधिकारियों की पत्नियां अपने बच्चों को लेकर सामने खड़ी हो गई थीं कि पहले गोली हम पर चलाओ, बाद में कारसेवकों पर चलाना। ये कहते हैं कि वह आंदोलन नहीं था, जनआंदोलन नहीं था। चंडीगढ में बैठ कर आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि वह जनआंदोलन नहीं था। अध्यक्ष महोदया, स्वतंत्र भारत का वह सबसे बड़ा जनआंदोलन था और उसी आंदोलन ने आडवाणी जी को जननायक बनाया था।

अध्यक्ष महोदया, ऐसे–ऐसे विकृत निष्कर्ष इस रिपोर्ट ने निकाले हैं, आप सुन कर हैरान होंगी। मैं एक जगह पढ क़र आश्चर्यचकित रह गई। यहां कहा गया कि दीनदयाल उपाध्याय जी दो राष्ट्र के सिद्धांत को मानने वाले थे, उन्हें कोट किया है। मैं पढ कर सुनाती हूं – Paragraph 85.14 in page 566 of Chapter 8 says: Deen Dayal Upadhya had stated that: "The problem of India is not inter-caste, it is international. If peace is to reign here, the major communities must be given their own separate chunks of land. It is nothing but mere dream to imagine that Hindus and Muslims can stay together in India as members of composite nationality. The Muslims are not a minority community, they are a

nation. They must have their own independent land and their own state." यह दीनदयाल जी ने कहा, जब हमने यह पढ़ा तो हमें लगा कि यह तो मोहम्मद अली जिन्ना का बहुचर्चित कोट है। ये कहां से दीनदयाल जी के मुंह में डाल दिया। फिर हमने सोर्स देखा और कहा कि यह आया कहां से? मैं रिपोर्ट में दीन दयाल जी के नाम पर गढ़ा गया एक कोट पढ़कर सुना रही हूं जिसके अनुसार दीन दयाल जी ने ऐसा कहा था, यह रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन चूंकि यह मोहम्मद अली जिन्नाह का बहुत पॉपुलर कोट है, इसलिए हमें लगा कि यह आया कहां से? हमने इसी रिपोर्ट में सोर्स देखा, तो सोर्स है, Pandit Deen Dayal Upadhya's "Ideology and Perception", Part 5, Concept of Hindu Rashtra, तो हमने कहा कि यह कौन सी किताब है, इसे निकालो तो सही, क्योंकि हम लोगों ने यह किताब कभी देखी नहीं। इसके लिए हमने दीन दयाल शोध संस्थान में फोन किया कि क्या ऐसी कोई किताब है, तो उन्होंने कहा कि हां, किताब तो है। हमने कहा कि जब इस नाम की किताब है, तो हमारे पास उसे भेजो। उन्होंने पूछा कि क्यों चाहिए, हमने कहा कि जस्टिस लिब्रहान जी ने दीन दयाल उपाध्याय जी को कोट करते हुए यह बात कही है। मैं उस किताब का, जिसमें यह कोट था, उसका पन्ना फोटोकॉपी कर के लाई हूं। यह किताब है– पं. दीनदयाल उपाध्यायज 'आइडियोलौजी एंड परसैप्शन अगर किसी को किताब चाहिए तो वह जाकर पढ़ ले। इसका नाम है– "Concept of Rashtra" कॉसैप्ट ऑफ हिन्दू राष्ट्र नहीं। इसे श्री यशवन्तराव केलकर ने ट्रांसलेट किया है। अध्यक्षा जी, यह वह किताब है, जिससे कोट किया है। उसमें वे कहते हैं कि – "Jinnah advocated the theory that Hindus and Muslims are two separate nations with propagandist zeal. He said - means Jinnah said - "The problem of India is not inter-caste, it is international. If peace is to reign here, the major communities must be given their own separate chunks of land. It is nothing but mere dream to imagine that Hindus and Muslims can stay together in India as members of composite nationality. The Muslims are not a minority community, they are a nation. They must have their own independent land and their own state." जिन्नाह का कोट, इनवर्टेड कॉमाज लगाकर दीन दयाल उपाध्याय जी के मुंह से कहलवा दिया गया। इतनी विकृतियां हैं। हम तो हैरान हो गए। जब हम पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो हमें लगा कि दीन दयाल जी ने यह कब कहा, दीन दयाल जी की सोच ऐसी कब हो गई? तो पता चला कि मोहम्मद जिन्नाह का कोट दीन दयाल जी के मुंह से रिपोर्ट में कोट कर दिया

गया।

महोदया, मैं कितनी विकृतियां बताऊं? एक जगह कहते हैं राम को हिन्दू गौड, एक जगह कहते हैं कि वे अवतार जैसे थे–considered incarnation of God. अब मैं पूछना चाहती हूं, कल जिस समय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अलामा इकबाल ने उन्हें इमामे हिन्द कहा था, बाद में मैंने सलमान खुर्शीद साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हां, उन्हें इमामे हिन्द क्या, अगर उन्हें इमामे दुनिया भी कहा जाए, तो हम मानेंगे, क्योंकि उसमें हम निजामे मुस्तफा देखते हैं। यह सोच सही है। यही सोच चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आप उन्हें हिन्दू गौड कह कर संकीर्ण कर रहे हैं। अगर इस्लाम को मानने वाले, अलामा इकबाल, उन्हें इमामे हिन्द कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में 2533 बार राम का नाम आता है। अजनाला साहब बैठे हैं। गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, जिसके लिए कहा गया कि गुरु मानियो ग्रंथ, ग्रंथ को ही गुरू मानो। यह बात मैं अंदाज या अटकलों के आधार पर नहीं कह रही हूं। लक्ष्मण चेला राम जी ने एक शोध किया है कि गुरुग्रंथ साहब में परमात्मा के नाम, किस–किस रूप में कितनी बार आए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि 2533 बार राम का नाम, गुरुग्रंथ साहब में आया है। महोदया, अभी श्री पिनाकी मिश्रा जी, श्री हरप्रीत सिंह ज्ञानी का नाम कोट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी मदद की। यह रिपोर्ट ज्ञानी जी ने लिखी है। इस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि वे तो सिख धर्म को मानने वाले हैं। वैसे भी जस्टिस लिब्रहान चंडीगढ में रहते हैं, जो पंजाब और हरियाणा की साझी संस्कृति का केन्द्र है। वे भूल गए गुरुवाणी को, गुरू नानकदेव ने दो ऐसे शब्द कहे हैं, जो हर हिन्दू और सिख वहां अपने–अपने घरों में बोलता है। उन्होंने कहा हैः ''संग सखा सब तजि गये, कोय न निभयो साथ, कह नानक की विपति में, टेक एक रघुनाथ।' उनका दूसरा शबद हैः ''राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोय, जे सिमरत संकट मिटे, दरश तुम्हारो होय।'' यह जस्टिस लिब्राहन को मालूम नहीं, वे चंडीगढ में बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि हिन्दू गॉड हैं। वे हिन्दू देव या देवता नहीं, राम भारत की आत्मा हैं। इसीलिए जन्म से लेकर मरण तक लोग राम नाम जपते हैं। बच्चा पैदा होता है तो मां अपनी अंगुली से उसकी जुबान पर राम लिखती है और मरने के बाद एक मृत व्यक्ति की अर्थी राम नाम सत्य कहते हुए उठती है। मैं कहना चाहती हूं, मैं कितनी विसंगतियां बताऊं, कितनी विकृतियां बताऊं? अध्यक्षा जी, मैंने कहा था कि यह न्यायिक रिपोर्ट नहीं, विसंगतियों की भरमार है यह रिपोर्ट,

विसंगतियों का पुलिन्दा है यह रिपोर्ट और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है यह रिपोर्ट और साम्प्रदायिक दुर्भावना का दस्तावेज़ है यह रिपोर्ट।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उसने मुस्लिम संगठनों पर जो एक अध्याय लिखा है, आप पढिये, एक–एक शब्द में से साम्प्रदायिकता की गन्ध आती है। यहां ओवेसी साहब खड़े हो रहे थे, मैं उनसे कहना चाहती हूं, आपने यह रिपोर्ट पढ़ी है? सारे हिन्दू संगठनों को उन्मादी और तमाम संस्थाओं को नाकारा बताते हुए एक दूसरे के सामने खड़े होने की बात की है। अध्यक्षा जी, उसने पूरे मुस्लिम अवाम का आह्वान किया है कि अपने मुस्लिम नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाओ। कल आप अपील कर रही थीं, जिस समय यह चर्चा प्रारम्भ हो रही थी कि मैं कहना चाहती हूं कि धैर्य रखिये, संयम रखिये, किसी तरह का साम्प्रदायिक सौहार्द खराब मत होने दीजिए। मैं कहती हूं, अगर यह रिपोर्ट आप लोगों के पढने के लिए रख देंगे तो यह तो दंगों का अंकुर है, यह रिपोर्ट तो दंगों का बीज बोने वाली है। जस्टिस लिब्रहान कहते हैं, मेरे पास मुस्लिम कम्युनिटी आई ही नहीं लिब्रहान यह कह रहे हैं कि एक तरफ तो हिन्दू संगठन खड़े थे, आर.एस.एस., बी.जे.पी., वी.एच.पी., बजरंग दल और दूसरी तरफ मुस्लिम संस्थाएं सो रही थीं, आप खड़े ही नहीं हुए। उन्होंने मुस्लिम अवाम को इनके प्रति भड़काया है और ओवेसी साहब, आपके तो अब्बाजान लिब्रहान कमीशन में पेश हुए थे, इसलिए तमाम के तमाम लोगों के ऊपर उन्होंने यह टिप्पणी की है। मैं आपसे कहना चाहती हूं और गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं, खुदा के वास्ते इस रिपोर्ट को खारिज कर दीजिए, इस रिपोर्ट को खत्म कर दीजिए। यह रिपोर्ट अगर रहेगी तो देश में दंगे भड़काने का काम करेगी। अगर आपको उत्तर चाहिए तो हम उत्तर दे रहे हैं। उत्तर हम आज भी दे सकते हैं। आप क्या ढूंढ रहे हैं, कौन से सवालों का जवाब आपको चाहिए? 6 दिसम्बर, 1992 का जवाब चाहिए, इसका कि 6 दिसम्बर, 1992 को ढांचा गिराया, हां मैं कहती हूं, गिराया। कारसेवकों ने गिराया–जी गिराया। षड्यंत्र के तहत गिराया–नहीं, षड्यंत्र के तहत नहीं गिराया। क्या गिराने की सजा भुगतने को तैयार हो? अगर आपका प्रश्न यह है कि क्या गिराने की सजा भुगतने को तैयार हो तो मैं सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूं कि तैयार हैं, बिलकुल तैयार हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि वह भी तैयार हैं, जो वहां थे, वह भी तैयार हैं जो वहां नहीं थे, वह भी तैयार हैं जो सदन में बैठे हैं और वह भी तैयार हैं जो सदन के बाहर हैं। अगर आपको सजा देनी हो तो दो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं,

लेकिन किंतु–परंतु करके, अगर–मगर करके, इधर–उधर करके समस्या को टालो मत। पचास साल तक अदालतें जिस बात का फैसला नहीं कर सकीं, उसका हल केवल संवाद से निकलेगा, संवाद करो। दोनों कम्युनिटीज को एक साथ बैठाओ। समुदायों के प्रमुख लोगों के साथ बात करो। मैं हैरान हुयी जब गुरूदास दासगुप्त जी बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि मैं प्यूनिटिव एक्शन तो नहीं चाहता, पोलिटिकल आइसोलेशन इसकी सजा है। गुरूदास दा, अभी चार दिन पहले आपने मुझे न्यौता दिया था कि आप आकर ऐटेक की रैली को एड्रेस करो और कल आप पोलिटिकल आइसोलेशन की बात कर रहे थे। हमारे कामरेड्स को दो फेस बहुत सूट करते हैं। जब इन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाना होता है, तो यह कहते हैं कि सेक्युलर फोर्सेज को इकट्ठा हो जाना चाहिए, इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं और जब इन्हें बीजेपी का साथ चाहिए, तो यह कहते हैं कि इकॉनामिक ईश्यूज पर हम सब को साथ हो जाना चाहिए, इसलिए बीजेपी हमारे साथ रहे। ये यह कहना चाह रहे हैं। अध्यक्ष जी, इन्होंने उस दिन कहा था, "This is a very significant move." हम इकॉनामिक ईश्यूज पर इकट्ठे हो जाएं। आप आइए, हमारे यहां की रैली को एड्रेस करिए। उस दिन मुझे सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा सकी। अगर चार दिन बाद आप पोलिटिकल आइसोलेशन की बात करने वाले थे, तो आपने मुझे उस दिन न्यौता क्यों दिया था? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पोलिटिकल आइसोलेशन इसका जवाब नहीं है, इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान है – इकट्ठे बैठना। मगर किस मानिसकता से बैठना? इस मानसिकता से बैठो कि हमलावरों के विजयचिन्ह गर्व के नहीं, शर्म के स्मारक होते हैं। इस मानसिकता से बैठो तो जरूर–दर–जरूर हल निकलेगा। कोई जगह बंद नहीं होती, इतिहास में ऐसे बहुत से पड़ाव आए हैं, जहां लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में से राह निकला करती है। इस रिपोर्ट को खारिज करो। कम से कम मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करती हूं। We dismiss this Report lock, stock and barrel.■

Throw Report in Bay of Bengal

– M. Venkaiah Naidu

Mr. Vice-Chairman, Sir, with the death of Shrimati Gandhi, her plan suffered a set back about Ayodhya. Her son took over as Prime Minister and another colleague of his took command of the Ayodhya matter. From then on, a series of disastrous steps followed. Until the court order, the temple agitation remained almost a unilateral affair; but the opening of the locks triggered off a great deal of controversy. Many described it as a State managed affair which proceeded with undue haste to pre-empt the VHP plan. Compare it with the lightning speed with which the case filed by an unknown advocate which was heard and disposed of. Within hours of passing of the order, the temple was unlocked and even the Doordarshan cameramen were present to cover the occasion which was widely telecast across the country. Within minutes the Doordarshan,जो जनता से दूर रहते हैं और केवल कांग्रेस को दर्शन देते हैं, वे वहां पांच सैंकिण्ड में तुरंत पहुंच गए और पूरी पिक्चर देश में लोगों को, पूरी दुनिया को दिखाई।

How did this case move at this speed? How did the Government acquiesce in this case? How did the Faizabad locks open, in a matter of two days, when the Hindus have been pleading for nearly 37 years? How did the Doordarshan cameras click the opening of the locks within an hour of the court orders? These are not Venkaiah Naidu's words. These are the words of the then Prime Minister of India and the Congress President, who said that with the demise of Indira Gandhi, her son took over as Prime Minister and a colleague of his took command of the Ayodhya matter, and from then on a series of disastrous steps followed. The Commission had no time

even to look into this matter. The Commission had no time even to inquire into the sitting Prime Minister at that time. This is from the book of Shri P.V. Narasimha Rao, 'Ayodhya 6th December, 1992'. All my friends are saying no, no it was a misjudgement, wrong judgement. If it was a wrong judgement, none of you had the guts to stand up and say that it was a wrong judgement. Even the present Home Minister, even the present Prime Minister, even many of the present Ministers, they were all there in that Government and they happily enjoyed the power. Suddenly, you remember now that it is a national shame. At that time, you were calm. Now you say, "Shame". What is this? Whom are you trying to deceive in the country? Who did all these things, is a matter of history. Simply because you just bring some report which is not even worth reading by any human being, and then you try to give sermons to others saying that रिपोर्ट में ऐसा है, ऐसा है।

This Report has no support. Everybody has condemned this Report. This is a commissioned Commission. It is a commissioned Commission. It suffers from absence of facts and it is full of politicking. The Report has no legal support. I do not know why such a learned man, Shri Kapil Sibal, was, time and again, referring to a document which has no legal validity, which is full of politics, sermons, preaching and teachings without even knowing the fundamentals of politics and public life of the country. I am worried. After my Leader, Shri Arun Jaitley, yesterday, made a brilliant commentary on the entire episode, the Congressmen are dumbfounded. They have no answer whatsoever. They

The Commission had no time even to inquire into the sitting Prime Minister at that time. This is from the book of Shri P.V. Narasimha Rao, 'Ayodhya 6th December, 1992'. All my friends are saying no, no it was a misjudgement, wrong judgement. If it was a wrong judgement, none of you had the guts to stand up and say that it was a wrong judgement. Even the present Home Minister, even the present Prime Minister, even many of the present Ministers, they were all there in that Government and they happily enjoyed the power. Suddenly, you remember now that it is a national shame.

cannot rebut any of the points raised by the Leader of the Opposition. So they start now talking about others, sadhus and saints and then make comments about them. After going through the Report, I am really wondering. From the day one I got the doubt that this Report was outsourced to somebody. I am wondering who is the man who prepared this Report. Giani or agiani? There are so many factual mistakes in the Report. He does not know when the RSS was started. He does not know who was the founder of the RSS. He himself has named the founder of the RSS. Fortunately, he did not say that he himself was the founder. He can say that also.

Why should I waste my energy and write a letter about such a useless Report? It should be thrown into the Bay of Bengal. I do not know why the Parliament is also wasting its time. We have seen so many Commissions in this country. As I said this is a commissioned Commission. Truth has become omission; facts were given remission and assumptions and presumptions are the emissions.

My friend, Shri Jairam Ramesh is not here because he is going to attend an International Conference on emissions cut. Such emissions have also been taken care of. His conclusions conflict with evidence. These 17 years mean 6,036 days. Every day has 24 hours and every hour has 60 minutes and every minute has 60 seconds. What was this man doing for all these years? I do not know whether he was writing 000.6 pages per day and spending this valuable time. In contrast, you see the Shah Commission. The Shah Commission was appointed on 28.5.1997. They number of sittings they held was 100, the number of complaints recorded was 46,261 and the proceedings were completed by 31.12.1998. Within one year and six months the entire report was prepared and then given to the Government. What did this great champion of Commissions do at that time? They have disbanded the Commission after coming to power. We also could have done it. But we did not do it.

It is because, as you said, we are Ram Bhaktas. If that is our fault, then, let it be so. It is like digging a mountain and catching a mouse. The Liberhan Report is a Report for the vote bank politics. It is a Commission which was wrong on every front. To be frank, there is nothing left in the Commission to speak about. It is because the Report is full of mistakes, and these were pointed out by my

leader, who is not only a Parliamentarian, but also a senior legal luminary in the country.

As I told you, Sir, he brings Balasaheb Thackeray from Mumbai to Lucknow, on his own, and sends him to Ayodhya. He has imagined things. Shri Sunder Singh Bhandari, Shri Sikaner Bakht and other senior leaders were in Delhi. He imagined things and took them to Ayodhya. The Chief Secretary was taken there. The Chief Minister was taken there. He changes the founder of the RSS. He changes the philosophy of Deen Dayal Upadhyaya and, suddenly, brings in Jinnah, and inserts it. What sort of a Commission it is! I can understand some small, small mistakes, grammatical mistakes, or, some historical mistakes here and there. But, on each and every front, there is total ignorance. Sir, what did the important people say about this Commission? Shri M.N. Buch, a former civil servant, said, "If there is any justice in the world, then, Liberhan and others must be made to cough up Rs.8 crores spent on the Commission. This is the recommendation made by a senior civil servant. "It is an idiotic report."

This is the opinion of our senior colleague, who is also a veteran journalist, that is, Shri Arun Shourie. "The Report must be consigned to the archives at the earliest to avoid political damage." This is the opinion of Shri Arun Nehru, who is a part of the ruling class. "The Liberhan Report is a thousand page gossip." This was said by Shri Cho M. Ramaswamy. It has now become a tamasha in the country to appoint commissions. Whatever credibility the Commissions of Inquiry had earlier, when we compare the Thakkar-Natarajan Commission and this particular Commission, I don't think, anybody in this country will henceforth accept appointment of any commission of inquiry to go into any matter. This is the greatest service, Mr. Liberhan, has done for this country. He has brought so much discredit, not only to the Commissions of Inquiry but also to the Report that nobody is going to ask for it any more. In a way, this is the best service he has rendered to the country. Here, the Home Minister, I do not know why he has gone, and there is also no Cabinet Minister here.

I will be happy to see Jayanthiji in the front seat. Sir, before the Home Minister makes any submission in the House, he must, first of all, explain how this leakage had taken place. Is there a package

behind the leakage? Why was it done? How can a Minister come to the House and then start arguing and attacking the Opposition parties, when he is not able to give an explanation about it? He had one copy. And, other than Liberhan, who prepared his report, there must have been one copy with his assistant. Now from where did the copy go into the hands of the journalist friends and to the electronic media? And, poor parliamentarians, हम सब लोग एक–दूसरे से पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट की कॉपी है या नहीं? नहीं–नहीं साहब, NDTV के पास जाना। किसी और से पूछा तो वह बोला, Indian Express के पास जाना। You really brought shame to Indian Parliament on such a sensitive matter. If you also think that it is a wasteful exercise, a futile exercise, that there is nothing important in this Commission, I can understand.

This Report has no support. Everybody has condemned this Report. This is a commissioned Commission. It is a commissioned Commission. It suffers from absence of facts and it is full of politicking. The Report has no legal support.

The Home Minister, with all the responsibility that he has, must come to the House and explain to the House why and how it happened. Who is responsible for this? Who will take the responsibility for this? There will not be any answer from the Government, and I am sure about it.

Sir, there was a selective leakage. The idea, at that time, was, divert the attention from the spectrum, divert the attention from Madhu Koda, divert the attention from price rise and the strike of sugarcane farmers of Uttar Pradesh and, subsequently, of other parts of the country. You tried to divide the Opposition parties because everybody, in the Opposition, has got hisèher point of view. So, that was the purpose. If you were sincere about the Report, if you are so concerned about the so-called national shame, you should have come to the House politely and proudly and told the House, "Yes, the Report has come."

Six months are over. Because our country is very small; we have only 100 crore population; and we have the Budget of rupees Ten lakh four thousand crores, the Indian Budget! So, money was not sufficient for translation into Hindi. Hindi people are not available in India. We are contacting America, China to get translators, and

then, you take some time. You could have made some submissions to this House. You never bothered about it. Instead of that, you passed it on to some selective friends in the media, and Parliament has become a mockery! We became a laughing stock. These people were asking us questions, and we were saying, "No, no; we have not seen it." They said, "You see our T.V. Channels, then respond". At the end of the story, they said, if anybody wants a copy -- after laying it here -- 'go to the website'. We went to the website, but there is no site. In the website, there is no sight of any report! Sir, we really could not find. Then he is an important person.

Then, this is the Report which is defaming the highest court of the land, the Supreme Court, and you still say, 'great Report, great man'. And you are quoting from his Report! Shri Kapil Sibal, who is a senior lawyer, practised earlier in the Supreme Court, he must also have some respect for the Supreme Court. The moment he found that sentence, he would have thrown the Report outside, and could have refused to speak in the House. What is this non-sense? You defamed the Supreme Court; you defamed the former

Prime Minister of the country; you defamed every institution; you defamed all the sadhus and saints in the country. You give lectures to the journalists; you want licence to be given. If a CRPF personnel offers prayers, for his information, I would like to inform him that India has got a tradition. In the police also, they also do ayudha puja, शस्त्र पूजा This is the practice in the armed forces. On the Ram Navami day, on the Vijayadashami day, they do it. That is the practice. It is an age-old practice. आदि काल से, वैदिक काल से, पुण्य काल से, प्राचीन काल से पूर्वजों ने जो दिया, वह हमें दिया। यह हमारी परम्परा है। इस परम्परा पर हम गर्व महसूस करते हैं। What is wrong in this?

Sir, now coming to the issue of the so-called conspiracy, which Mr. Liberhan has failed to establish, and Mr. Kapil Sibal is now trying to build up a case. Advocates, of course, take case of any side. I don't disagree with him on that count. You know the demand for Arunji. The Congress White Paper on Ayodhya says, "No conspiracy". It is not BJP White Paper. It is Congress Government's White Paper. Then, the Home Minister, father of the present Chief Minister of Maharashtra, Mr. S.B. Chavan says, "There was no

conspiracy". Shri Satyanarayana Reddy, the former Governor, serving at that time in Uttar Pradesh says, "No conspiracy". The IB told the Supreme Court, "No conspiracy". The CBI ruled out any conspiracy and the charge-sheet filed did not have any charge of conspiracy in it. The Bahri Tribunal, which was set up by the Government to discuss about the banning of the RSS, came to the conclusion saying, "There is no evidence to suggest any conspiracy and quashed the ban on the RSS."

A slap on the face of the Congress Government at that time. The Trial Court of the Rai Bareilly has dismissed the conspiracy charges against the leaders of the movement in the year 2001. In the year 2001, the court gives the judgement. Mr. Sibal, the senior advocate, now says that there is a conspiracy. You don't believe court, and you believe only your person, whom you trust. That person is defaming the Supreme Court.

Then, Shri Mulayam Singh -- my friend, Amar Singhji is sitting here, we have our own ideological differences -- the U.P. Government filed an affidavit in the Supreme Court stating that the demolition of the structure at Ayodhya was done under criminal conspiracy by any specific community or political party is wrong and denied. The Allahabad High Court upheld the trial court order. The order was then challenged in the Supreme Court. The Supreme Court did not give any adverse judgement. The Supreme Court refused to intervene in this matter in 2009. So, legally, there is no conspiracy.

The Governor, the Supreme Court, the High Court, the lower court, then the CBI, the IB, the White Paper, the then Home Minister, the then Central Government at that time; everybody says there is no conspiracy. Now, after the demise of that former Prime Minister---a former Congress President, and your ruling family does not like that man who is no more---you say that is false, what you say is right and that everyone of us should accept that. This sort of demolition you are indulging in.

Sir, the invaders always construct churches to demonstrate their political victory over the country. I humbly want to submit to the House that I am not a regular religious person; I must submit that though I was president of the BJP, then, I am a senior member of the party, I can tell you, I can confide with you, I am not a regular

पूजा करने वाला या पाठ पढ़ने वाला नहीं हूं। मुझे पूजा–पद्धति में विश्वास है, भगवान के ऊपर भरोसा भी है, और जो काम हमें दिया गया है, वह काम करना चाहिए और वह हम करते भी रहेंगे। We do not need any certificate from these people. In my own village Kasimoglu, there is a Mastanwali Dargah. As a family, we all go there. My father's name was Mastanaiah Naidu. His brother's name is Pedda-Mastanaiah Naidu, elder Mastanaiah Naidu. We live together. We go to the Dargah. They come to the temples. We live together. This is the tradition of India. Then, how has this tradition has been broken? Because, you are creating ill-will in the minds of the people that something has happened. 'Ayodhya, something has happened.' There are 20 more mosques in Ayodhya. Not even one was touched!! Why? If it were a frenzy move to destroy anything, not even a single mosque was touched in Ayodhya by any of these people, over all these years. Why this particular structure?

It is because, as you said, we are Ram Bhaktas. If that is our fault, then, let it be so. It is like digging a mountain and catching a mouse. The Liberhan Report is a Report for the vote bank politics. It is a Commission which was wrong on every front.

Sir, Mr. Arnold Toynby, a great historian of the century, while addressing the Azad Memorial lecture, said, "I have been speaking. Some vivid visual memories have been flashing in my mind and one of these is a mental picture of the Principal Square in the Polish city of Warsaw, some time in the late 90s and 20s. In the course of the first Russian occupation of this central spot in the city, that has been once the capital of independent Roman Catholic Christian country Poland, the Russians had done this to rule the Poles a continuous ocular demonstration that the Russians were neither masters. After the establishment of Poland's independence in 1918, the Poles had pulled this cathedral down. The demolition had been completed just before the date of my visit. I do not blame the Polish Government for having pulled down the Russian church. The purpose for which the Russians had built it had not been religious but political and the purpose should also have been intentionally offensive." Russia दुनिया को दिखलाना चाहता था

कि पोलैंड पर हमने कब्जा किया, यह हमारे अधीन है। इसलिए उसने वहां एक मोनुमेंट बनाया। पोलैंड भी क्रिश्चियन कंट्री है और रूस भी लगभग क्रिश्चियन कंट्री है तथा पोलैंड और रूस में मित्रता भी है। उसके बाद जब ये लोग वापस गये तो उन लोगों ने उस structure dks pull down किया।

Warsaw is a historical fact, it is not Venkaiah Naidu's statement. It is a famous historian who was speaking in Azad Memorial Lecture; if somebody wants the document, I can pass it on to him. Sir, the BJP believes that the theocracies are alien to our history. India being secular is not because of Indira Gandhi or Atal Behari Vajpayee or this Government or that Government. It is because of the blood of the people of this country. People who want to think on religious lines have gone to Pakistan. They have chosen Pakistan as their mother-land. But the remaining people thought that this Bharat Mata, this India to be their country and that they should live here. There is no discrimination on the basis of religion in this country; some people are trying to preach and teach lessons and arouse the feelings of the people. What has happened in 1527 is, the invader who came from outside destroyed the Rama temple. He is adored by millions and millions of people across the country. The entire world adores Him. There is Ramayana festival even in Indonesia and everywhere. There is Garuda Airlines in Indonesia. There is the Kubera Bank in Indonesia. There is Ganesha picture on the currency. Some time back, after seeing this, I asked them, 'What is this? What is your religion?' They said, 'Our religion is Islam.' I asked, 'Then, what is all this?' हमारे पूर्वज हैं। They said, they were their forefathers. That is the respect Rama commands everywhere in the world. That is why Mahatma Gandhi said Rama Rajya. That is why, Rajiv Gandhiji, after performing Shila Nyasa, started a campaign and spoke of Rama Rajya at that time.

It is simply because you take the name and we hold the beautiful magnificent temple higher. Where? In Ayodhya. You ridicule us and you just say that we are communal minded. Talking about Rama is communal minded? And you have people who are supporting you in your Government, who ridiculed Rama, who ridiculed Rama Setu, who also raised questions on who is Rama? Such people are there. You filed an affidavit in the Supreme Court. You had to take back. That is the situation. That is why I am telling my friends in the ruling

party, on the other side also, 'please don't be offensive.' You have your line. Okay. We have our line, our thinking. Our approach is different and your approach is different. Let us agree to disagree. But, at the same time, just to say, 'these people are like this, they have no respect for democracy. It is a shame. What is shame? What is shame I would like to know. If somebody from outside comes and then constructs something, and he asks, 'who are the people'. It is the people of India. Who demolished it? It is the people of India belonging to all hues, the Kar Sevaks and the other people who gathered there. They all did it because the matter is getting delayed for years together and political parties are using it for political ends and the Congress Party got the locks opened. The Congress Party allowed pooja. The Congress Party took the Doordarshan staff there to show it to the entire country saying that, 'see, we have allowed pooja.' Of course, the net result was, both the communities have given left and right to the Congress party. After that it showed. That is a different matter. This is how you do it and you ask us. Sir, in 1984, when thousands of Sikhs were massacred in Delhi, what was the reaction?

Mr. Sibal, Mr. Chidambaram and others leaders, just search your soul. The reaction was, बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है। If a big banyan tree falls, then the earth shakes. So, you say that, 'no, no, it was all planned.' Are you ready to accept it? You never said it. You never said it and you talk about persons. We talk about not one person but about the belief millions of the people across the country and the world. We are communal people! Who? You created the hype in this country after those people left. Sir, you have been friendly with the Muslim League. This man does not even have an iota of anything. You talk about Muslim League in the report and then you have alliance with Mazlis-e-Ittahadul-Muslimeen. You have alliance with people who oppose Vande Mataram. You have alliance which has objection to Saraswathi Vandana. You do all these things and then just attribute in reverse to the Bharatiya Janata Party. Mr. Chidambaram said the other day, "the National Executive in 1991 recorded its appreciation of the attempts made by some Shia Leader to persuade the community that it was contrary to the tenets of Islam to have a mosque built upon a place of worship of another religion and that therefore, the sight on dispute should be handed

over to the Hindus and the Mosque should be built at some other suitable place". I am suggesting it now. If you want to brand me as a communal person I give the choice to you. People will decide who is communal and who is secular.

The President of India went to do shilanyas at the Somnath Temple there. Was he communal? Was that not destroyed by foreign invaders? As I told these people from the ruling party that your leaders go there, you allow shilanyas, you send the Home Minister, your Chief Minister goes there and then, you propagate in Doordarshan on secularism and when we talk, we become communal. It is not secularism but peculiarism. Then, the Liberhan Commission now says that religion should not be used for the sake of politics. If there is one party which is using religion for the sake of politics, number one is the present ruling party. My charge is, you have alliance with Muslim League. Do you say that Muslim League is a secular party? Great. BJP is communal, Muslim League is secular. You have alliance with Mazlis-e-Ittahadul-Muslimeen. It is a secular party according to you. You have gone with the descendants of the Nizams -- Rajakas -- you just go with them. Sir, Mr. Chidambaram himself said, 'forget about Liberahan report, the people of India' he says, not me and Mr. Kapil Sibal should read his speech in Lok Sabha.

He said, "The people of India voted for our idea. They have rejected your idea in 2004 and 2009." Mr. Chaidambaram Garu, I don't know where is he? SHRI D. RAJA: It is Chidambaram avaragale.

Yes. Shri Chidambaram avaragale vanakkam. This incident had happened in 1992. There were elections in 1996, there were elections in 1998 and there were elections in 1999.

What happened? Where were you at that time? Where was your party Jana Nayaka Peravai at that time? Were you all in the Government? We got the majority. We ruled the country for six years. What did we do when we got an opportunity to rule at the Centre? We gave the air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, telecom connectivity, television connectivity, port connectivity and we got political connectivity with all parties together in the North, South, East and West. That is what we have done. We have taken every party along with us.

Yes, because you have not taken any steps afterwards. What great thing you have done is, you have removed Shri Atal Bihari Vajpayee photo and now calling tenders to erect your leader's photo with Rs. 200 crores! There is a Circular. Do you want to see it? It is a great shame. You removed the photos of the former Prime Minister of the country! What is this?

Yes. As your leaders have spoken, even Gandhiji was a Liberhan Report. The BJP's ideology is a Liberhan Report. The RSS founding was a Liberhan Report. This Liberhan, Madam, is a gone case. Don't waste your time. Speak on other issues.

My point is, Sir, there was an abnormal delay. Even now the best way to settle the issue is, we have to live together. We have to work together. We have to take the country forward. We cannot look back forever continuously to the pages of history earlier; though we should not forget history. Why, during the VP Singh Government, during Chandrasekharji, during Narasimha Raoji, Sadhus, Sants, VHP and Babri Action Committee were called for discussion? It was to find out an amicable solution and also, time and again, you are giving some space for pujas in 2 and-odd-acres which was declared as undisputed area. There was no problem on that. Yesterday, somebody said, 'what about Silanyas.' Somebody from the ruling party has said that there was no dispute on that land. So, I will just come to the plan. Sir, there is a plan in the Liberhan Report.

There is a site of the Ramajanma Bhoomi. Many of the friends are forgetting the Ramajanma Bhoomi. They don't even use the word. The Government records, the Gazette, the White Paper, the official statement all mention this. Sir, this is the site map of Ram JanambhumièBabri Masjid Complex, Ayodhya, Faizabad, U.P. Sir, there is Sita Rasoi Temple. It is in the Report. I hope Sitaji is the same Sitaji who is our Mataji. Then, you have Seshavtar Temple. Do you have Seshavtar Temple in Mosque? And, then, Ramacharitamanas Trust. Then, there is the Hanuman Mandir. Then, there is the Ram Chabutra. Then, you have a number of institutions which are functioning within this area. I am not talking about Ayodhya. In Ayodhya, there are so many other temples. Many people asked me why you talk of this temple alone. Sir, we are particular, because we believe that it is the birth place of the Lord Rama. In this country, Rama is a household name. Rama is Maryada

Purushothama. That is why he is my leader. Some people are making comments about my leader. My leader did the greatest service to this nation for the cause of country's unity by brining in the concept of cultural nationalism. He is the man in the Indian politics who torn the pseudo-secularists and vote-bank politicians into pieces. We are proud of our leader, Shri Lal Krishna Advani. We are proud of our leader Shri Atal Bihari Vajpayee. We are proud of our colleagues. There is no doubt about it. We are proud of our association with Ramajanma Bhoomi Movement. We want to see that there is a magnificent temple in the birth place of Lord Rama. But, at the same time, we have no disrespect for Muslims or Christians. We want to have their Mosque at a suitable place. We are not asking for handing over all the temples which were destroyed earlier. Please understand. There is a psyche of Hindus also who are majority in this country. And, fortunately, they have to come to streets and they have to take up agitation. Is it the respect that you have for Hindus? Sir, secularism does not mean irreligiousness. Secularism does not mean anti-Hindu. But, some parties, some people in this country, unfortunately, say, anti-Hindu means, secularism? If you talk of Hindutva, it is wrong. What is wrong in Hindutva? Hindutva is the way of life. That is what the Supreme Court said. The highest court of the land said this. Sir, the Supreme Court said that Hindutva means, it is synonymous with Bharatiyata.

It is a democratic country. The country has a history of Emergency; 1,60,000 people were put behind bars. What has happened to the perpetrators of Emergency? The part of history I need not explain. I am also one of the products of Emergency; I was in jail for seventeen-and-a-half months. We came back; fought against authoritarianism, and, finally, the people accepted democracy. So, that is the principle. So, please be sincere, don't try to offend the feelings of the majority community in the country and don't try to mislead the minority community of the country as if something is happening to them.

What is wrong with this, I do not understand? Muslims, Christians, Hindus, are all there in the country. We are all one

irrespective of caste, creed, sex and religion. India is one, one nation, one people. Even if I go one step forward and I want to exceed, a common civil code like in the State of Goa comes to the country, at the earliest, after an agreement by all the people. This is all authentic. You fight ideologically. You banned us, you dismissed our four Governments, you banned my RSS, which is the most respected.

So, that being the case, I would like to be educated, not now even after the Parliament is over. Some people come to me and say, Venkaiahji, we have been going there and offering puja or namaj or prayer for years together. How do we do it? Why were those poor people allowed? Why are you insisting? If one man or a woman comes before us and tells us including the so-called Action Committee members, Geelaniji,

I think he is not here, if any one of them tells us हम वहां गए, हम नमाज कर रहे थे, तो अवध के नवाब महोदय ने कहा कि दो सौ साल के पहले यहां नमाज नहीं पढ़ सकते। यह लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट में भी है कि 70 साल से वहां जाकर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। आपने वहां शिलान्यास किया। राजनीति जी, आप राजनीति मत कीजिए। That is my view. Some people are saying that because of the demolition of Babri Masjid in 1992, things have happened like this. The entire country has become communal. I have the figures. I have the list of places where communal tensions have taken place from 1947 to 1990. Thousands of people lost their lives. Do you want this to continue further? Or, do you want a permanent friendship, understanding, harmony between the two sections of society? Do you want to perpetuate this sort of psychology and continue your vote bank politics or do you want to address the core issue? Settle this issue once and for all. Forget it. Stop this ritual. Every 6th December, some demonstration takes place, somebody comes on to the streets and then some protests take place and some incident happens. Stop this ritual. Be realistic. I can tell you, Sir, that no force on the Earth, and I am saying it with all my responsibility, दुनिया में किसी भी ताकत के लिए वहां जाकर राम लला मंदिर में जो मूर्तियां हैं, उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह में ले जाना संभव नहीं है। मैं होम मिनिस्टर से चाहता हूं, नरसिम्हा राव जी नहीं हैं, नरसिम्हा राव जी ने कहा कि मैं वहां दुबारा कुछ बनाउंगा या आप बनाएंगे?

Let the Congress Party be frank. Will you now say, yes, we will reconstruct the disputed structure? Can you say this? Are you going to say this? Why do you deceive the people? My friends, some of them are not here, naturally, the ordinary common Muslims will say हमारी मस्जिद को तोड़ा, हमारा यह हो गया। राम को बाबर के साथ मुनंजम मत कीजिए मक्का अलग है, मदीना अलग है, जेरूसलम अलग है और बाकी जो श्रद्धा और आस्था के केन्द्र हैं, वे सब अलग हैं। यह रामजी का जन्म स्थान है। यह हमारा प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए इन दोनों को एक साथ जोड़ना उचित नहीं है। हम भी आपको साथ देंगे, हम दोनों मिल कर काम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय करके दिखाया हैं हमारा नेता आडवाणी जी ने उस समय कहा कि हमारा intention है, इसको relocate करना। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों relocation संभव है? आंध्र के लोग, जैसे जनार्दन रेड्डी जी बैठे हैं और बाकी लोग हैं, आंध्र के अलमपुर में कुछ temples को वहां से relocate करके दूसरी जगह पर रखा गया है। इसमें लोगों की बहुत श्रद्धा है, इसको relocate किया जाए। आडवाणी जी ने खुद उस समय ऐसा कहा। मगर इसको कोई सुनने को तैयार नहीं है, एकदम से कहते हैं कि बीजेपी ऐसा है, बीजेपी वैसा है। सर, मेरा कहना यह है, the point is, number one, let us come to an understanding. Put an end to this, which you know pretty well that nobody is going to do anything. Number two, for 50, 60 years, courts also did not do anything. One of the courts said that it is not a matter which is justiciable. It cannot go into the benefit of the people of this country. It is a dispute about a site of 2.3 acres. Give and take approach should be there, because we want to live together, we want to live happily, we want to prosper, we want to compete with the so-called great countries of the West or the other countries and we want to become a strong nation.

So, please allow a proper atmosphere for construction of a Great Rama Temple there. Let us be proud of it and wherever other places of worship are there, we all go there. Sir, I go to Kerala; I go to famous churches; it is part of our history and I go to some other places, as I told you, in my own village. I am going to a Dargah, Ajmer Dargah Sharif वहां हजारों की संख्या में हिंदू अभी भी जाते हैं।

If you want सौहार्दता, if you want सामाजिक समरसता, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। But if you want to derive political

points like this even after 17 years and if you want to bring that back that and then want to settle the scores, then be sincere, Sir. You want to try us, you want to punish us, come on, do it; but don't base it on a waste paper like Liberhan. Have something concrete and then come forward. We know how to fight it out; we have seen many such things; the RSS as also seen many such onslaughts. It is a democratic country. The country has a history of Emergency; 1,60,000 people were put behind bars. What has happened to the perpetrators of Emergency? The part of history I need not explain. I am also one of the products of Emergency; I was in jail for seventeen-and-a-half months. We came back; fought against authoritarianism, and, finally, the people accepted democracy. So, that is the principle. So, please be sincere, don't try to offend the feelings of the majority community in the country and don't try to mislead the minority community of the country as if something is happening to them. Sir, whether it is minority or majority, they are equal part of this country. Sir, this great country -- I am just concluding -- had six Presidents; Dr Zakir Hussain Sahib; Fakhruddin Ali Ahmed Sahib; then you have Bharat Ratna, Abdul Kalamji, President of this great country; and then you have Mohammad Hidayatullahji, the former Chief Justice of Supreme Court; you have Air Marshal Latif; you have Mohammad Azharuddin, the former Indian Cricket Captain and now also)... भारत ने बनाए, पाकिस्तान ने नहीं बनाए। भारत में सबने मिलकर बनाए, आप सही हैं फिल्म जगत के बारे में मेरी नॉलेज बहुत कम है, लेकिन क्रिकेट में इरफान पठान मुनाफ पटेल, जहीर खान हैं और फिल्म जगत में देखिए, तो शाहरूख खान, अमीर खान, ये खान, कितने खान हैं, याद रखना भी मुश्किल है। सब लोगों का हम आदर करते हैं। Why? It is because they have the talent not because of Muslim or Hindu; they have the talent; they are the icons for many people in this country who like that particular field. So, that is the spirit of India. Don't spoil the spirit of India. Don't try to create divisions further. Don't bring in communal reservations. The communal reservations is against the wish of Jawaharlal Nehru; Late Rajiv Gandhi, even Mahatma Gandhi; Sardar Patel and Dr. Ambedkar. They all opposed communal reservation. You want to bring communal reservation now. You want to have communal budgeting now. What is this! 'Justice to all, appeasement of none'. ■